विभाग का नाम :- संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सिहत। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप—योजनावार प्रेषित की जाए।) Name of the scheme with Sub-Components, if any.	
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	2) MOU of Aromatic Crops 1) राज्य योजना 2) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना
3	Whether it is a Government of India/state Government sponsored Scheme ? राज्य शासन के स्तर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	1) State Scheme 2) State & Central Govt. Scheme उद्यानिकी (कृषि विभाग)
	Nodal department/directorate at the State level responsible	Horticulture Department (Agriculture Department)
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	उप/सहायक संचालक उद्यान
	Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	Dy./Asst. Directore Horticulture
5	योजना का उद्देश्य	 * व्यवसायिक केलों की खेती को बढ़ावा देना * व्यवसायिक पपीता की खेती को बढ़ावा देना * व्यवसायिक आम की खेती को बढ़ावा देना * कृषकों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु फल एवं औषधीय फसलों की खेती की योजना
	Objective of the Scheme.	* To Promote the Commercial Cultivation of Banana * To Promote the Commercial Cultivation of Papaya * To Promote the Commercial Cultivation of Mango * Cultivation of fruit and medicinal crops for Additional Income of farmers
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों / जिलों / विकासखंडो के नाम दर्शाये जाए।	1. अ — सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। ब — सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। स — सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। 2. सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।

	Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State? If not indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	 a - Being implemented in all Distt. b - Being implemented in all Distt. c - Being implemented in all Distt. Being implemented in all Distt.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक / सीमान्त कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पुरूष / महिला आदि ।	1) सभी वर्ग के सिंचाई सुविधा युक्त कृषक। 2) सिंचाई साधन युक्त भू—स्वामी कृषक।
	Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men/Wonen etc.	All types of farmers alongwith irrigation facilities Land holding farmers for identified crops.
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड यदि कोई हो तो	1) नाबार्ड द्वारा नियत मापदंड 2) चयनित फसल उगाने हेतु उपयुक्त भूमि के भू—स्वामी कृषक
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	1) As per criteria prescribed by the NABARD. 2) Landowner farmer of the land to produce identified crops.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	1) व्यक्तिगत स्तर पर 2) व्यक्तिगत / समूह स्तर पर
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis both individual and group basis.	1) Individual 2) Individual/Group
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।)	अ. अनुदान प्रति हे. 5500 / — एक हितग्राही हेतु अधिकतम 2 हे. रूपये 11000 / — या 25 प्रतिशत अनुदान ब. 5250 / — प्रति हे. एक हितग्राही हेतु अधिकतम 2 हे. के लिए रूपये 11500 / — या 25 प्रतिशत अनुदान। स. प्रति हेक्टर हेतु अनुदान रू.10937.50 जिसमें प्रथम वर्ष 3967.50 द्वितीय वर्ष 1395 / — एवं तृतीय वर्ष 1635 / — रूपये चतुर्थ वर्ष 1897.50 एवं पंचम वर्ष में 2042.50 एक हितग्राही हेतु अधिकतम 2 हें. या 25 प्रतिशत अनुदान। 2. प्रत्येक कृषक को आम क्षेत्र विस्तार योजना, औषधीय एवं सुगंधित फसल विस्तार योजना तथा टपक सिंचाई योजना की लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा।
	Detail of subsidy provided if the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate (%) Minimum Maximum	a. Per beneficiary the subsidy will be provided for 1 hec. Rs. 5500/- & maximum upto 2 hec. is Rs. 11000/- or 25% b. Per beneficiary the subsidy will be provided for 1 hec. Rs. 5250/- & maximum upto 2 hec. is Rs 11500/- or 25% c. Per hectare subsidy is Rs. 10937.50 in which first year subsidy is 3967.50 for second year Rs. 1395/- 3 rd year
	GOI Contribution State Government contribution	Rs.1635 /- 4 th year Rs.1897.50 and 5 th year Rs. 2042.50 will be paid and maximum subsidy for 2 hectare or 25% 2.Maximam 25% subsidy will be provided to each farmer for mango plantation. Aromatic & Medicinal Crops & Drip Irrigation.
11.	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।	नहीं

	whather any margin manay is anyiogaed from	No
	whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other then subsidy being provided if so,details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	No
12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां	1. केले की बगीचे लगाना
12.	योजनांतर्गत अपेक्षित है ।	2. पपीता के बगीचे लगाना
	याजनातगत अपाक्षत ह ।	
		3. आम के बगीचे लगाना
		4. आम् फलोद्यान एवं अंतराशस्य, पचौली, खस, लेमनग्रास,
		जामारोजा फसल लगवाना तथा उनका विक्रय भी एम.ओ.यू.
		के तहत सुनिश्चित करना ।
	Type of economic activities envisaged under	1. Plantation of Banana.
	the scheme.	2. Plantation of Papaya.
		3. Plantation of Mango.
		4. Plantation of Mango and inter culture cropping, Pacholi, Khas, Lemongrass, Jamaroja and sale through MoU.
13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल	সারেs, Lemongrass, Jamaroja and sale through Moo. अ. ক. 22000 / — प्रति हे. एक हितग्राही के लिए 2 हे.
10.	लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है ।	अधिकतम 44000 / —
	यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	ब. रू. 23000 / — प्रति हे. एक हितग्राही के लिए अधिकतम
	वाद हा ता पृथवा इराका विवरण प्रस्तुत करा	46000 / —
		स. रू. 43750 / — प्रति हे. एक हितग्राही के लिए 2 हे.
		·
	What are a second in the second secon	अधिकतम 87500 / —
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group.	1. Per beneficiary Rs. 22000/- per Hect. & maximum upto 2 Hect. is Rs. 44000/-
	If so please give detils.	2. Per beneficiary Rs. 23000/- per Hect. & Maximum upto 2
	if so piedse give dettis.	Hect. is Rs. 46000/-
		3. Per beneficiary Rs. 43750/- per Hect. & maximum upto 2
		Hect. is Rs. 87500/-
14	क्या योजनांतर्गत कोई ऋण का प्रावधान है ।	हां
	Whether any bank loan is envisaged under the	Yes.
	Scheme.	
15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य	हां
	शासन द्वारा परियोजना रेखा (प्रोजेक्ट	हां
	प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं।	
	Whether any project profiles etc. have been	Yes
	prepared by the State Government for the use	Yes
	beneficiaries.	
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।	प्रति हे कॉस्ट लागत नाबार्ड द्वारा परिवर्तित होने पर एवं ऋण
		मांग परिवर्तनीय होगा।
		कोई विशेष नहीं।
	Additional details, if any	The loan amount will change if NABARD changes the unit
		cost of the crop.
		No any prescribed details.

विभाग का नाम :- संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

144	ाग का नाम :- संचालनालय उद्यानिका एव	
1	<u> </u>	 एन.एम.एस.ए. आन फार्म वाटर मेनेजमेन्ट योजना टपक / बूंद — बूंद सिंचाई राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत हाइटेक नर्सरी की स्थापना (1 हे.) मशरूम स्पान यूनिट संरक्षित खेती अन्तर्गत ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर का निर्माण प्राकृतिक वातायन प्रणाली अन्तर्गत टयुबलर स्ट्रक्चर का निर्माण पैक हाउस की स्थापना कोल्ड स्टोरेज लो एनर्जी कूल चेम्बर की स्थापना उद्यानिकी यंत्रीकरण Drip Irrigation 1 Hi-tec Nursery(1 Ha.) Mushrooms Spawn Unit Green House Structure under Protected Cultivation Tubular Structure under Naturally Ventilated System Pack House Cold Storage Unit Low energy cool chamber Preservation Unit (Low cast) Horticulture Mechanization
3	क्या यह योजना भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है। Whether it is a Government of India/state Government sponsored Scheme? राज्य शासन के स्तर योजना क्रियान्वयन हेतु	1) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना2) राज्य एवं केन्द्र शासन योजना1) State & Central Govt. Scheme2) State & Central Govt. Schemeउद्यानिकी (कृषि विभाग)
	उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal department/directorate at the State level responsible	Horticulture Department (Agriculture Department)
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal office at the District level responsible	उप/सहायक संचालक उद्यान Dy./Asst. Directore Horticulture
5	for implementing the Scheme. योजना का उद्देश्य	उपलब्ध जल की अधिकतम उपयोग हेतु महत्वाकांक्षी योजना। उद्यानिकी फसलों का विकास एवं उत्पादन के पश्चात खराब होने से बचाने की योजना।
	Objective of the Scheme.	To increase Water used efficiency of available water . To protect crops after production.

6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों / जिलों / विकासखंडो के नाम दर्शाये जाए।	1. सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। 2. उन्नीस जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। (जगदलपुर, कोण्डागांव ,कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, जशपुर ,कोरिया, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद एवं राजनांदगांव)
	Whether the scheme is being implemented in all the districts of the State? If not indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.	1. Being implemented in all Distt 2. Being implemented in Nineteen District (Bastar, Kondagoan, kabirdham, Bilaspur, Mungeli, Raigarh, Sarguja, Balrampur, Surajpur, Korba, Durg, Balod, Bemetara, Jashpur , Koriya, Raipur, Balodabazar, Gariyaband & Rajnandgaon.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक / सीमान्त कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पुरूष / महिला आदि ।	1) सभी वर्ग के भू—स्वामी कृषक।
	Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Other/Men/Wonen etc.	All types of Land holding farmers.
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड यदि कोई हो तो	1) भू—स्वामी कृषक जिनके पास ड्रिप / स्प्रींकलर प्रणाली लगाने हेतु उपयुक्त खडी फसल हो ।
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	 As per criteria prescribed by the NABARD. Landowner farmer of the land to produce identified crops.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	1 — व्यक्तिगत स्तर पर 2— व्यक्तिगत स्तर पर
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis both individual and group basis.	1 . Individual. 2 . Individual

- 10 प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये।
- 1— संपूर्ण सहायता लागत के 60 प्रतिशत होगी। यह सहायता निर्धारित फसल एवं फसलों के बीच की दूरी के आधार पर अधिकतम 5 हेक्टेयर तक देय होगा।
- 2 1. एक हे. नर्सरी हेतु रू 7.50 लाख प्रति हे. या 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान।
 - 2. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान परियोजना के पूंजीगत व्यय पर 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 8.00 लाख अनुदान।
 - 3. प्रति हितग्राही 500 वर्ग मीटर हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई अधिकतम रू. 4.15 लाख अनुदान।
 - 4. प्रति हितग्राही 500 वर्ग मीटर तक सीमित कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्रति इकाई अधिकतम रू. 2.65 लाख अनुदान।
 - 5. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान के आधार पर 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 2.00 लाख अनुदान।
 - 6. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान के आधार पर अनुदान अधिकतम रू. 140.00 लाख अनुदान तथा पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्र हेतु अधिकतम रू. 200.00 लाख।
 - 7. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान के आधार पर 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 40.00 लाख अनुदान।
 - 8. ऋण प्रावधानित बैंक एंडेड अनुदान के आधार पर 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 2.50 लाख अनुदान।
 - 9. प्रति हितग्राही एक सेट के सीमित होने तक लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 40000 / एवं 20 हार्सपावर से अधिक की मशीना हेतु सामान्य क्षेत्र हेतु लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू. 0.75 लाख एवं आदिवासी क्षेत्र में अधिकतम रू. 1.00 लाख ।

	Detail of subsidy provided if the subsidy is provided on the basis of category of beneficiary, please give category wise details rate (%) Minimum .	1- The assistant will be limited to 60 % of the cost of the System for the specified crop spacing and for the area Covered under the crop by the farmer (maximum 5 hact.) 2- 1. For 1 Ha. Nurse Rs. 7.50 Lac Or 50% of the total project cost. 2. Credit linked back-ended subsidy @ 50 % of the total project cost . maximum Rs. 8.00 Lac. 3. @ 50 % subsidy of the cost limited to 500 sq. m. per beneficiary . maximum Rs. 4.15 Lac. 4. @ 50 % subsidy of the cost limited to 500 sq. m. per beneficiary . maximum Rs. 2.65 Lac. 5 @ 50 % subsidy of the cost . maximum Rs. 2.00 Lac. 6. Credit linked back-ended subsidy Rs. 140.00 lac in general areas and in case of Hilly & Tribal Areas . maximum Rs 200.00 Lac. 7. Credit linked back-ended subsidy @ 50 % of the total project cost . maximum Rs. 40.00 Lac. 8. Credit linked back-ended subsidy @ 50 % . maximum Rs. 2.50 Lac.
		9 @ 40 % subsidy of the cost limited to one set per beneficiary . maximum Rs. 0.40 Lac.& up to 20 H.P Machines @ 25 % maximum Rs. 0.75 in general areas & Rs.1.00 Lac in case of Tribals Area.
11.	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।	नहीं
	whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other then subsidy being provided if so,details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	No
12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है ।	 फल,सब्जियों की फसलों के लिए कृषक प्रक्षेत्र पर ड्रिप की स्थापना । कृषक प्रक्षेत्र पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना ।
	Type of economic activities envisaged under the scheme.	1- Establishment of Drip/Sprinklar System i the farmer's field.2- Establishment of Cold Storage in the farmer field .
13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	1. रू. 60000 / — प्रति हे. एक हितग्राही के लिए 5 हे. अधिकतम 2— 140.00 लाख प्रति इकाई प्रति हितग्राही (सामान्य) तथा 200.00 लाख पहाडी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए

	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so please give detils.	 Per beneficiary Rs.60000/- per Hect. maximum upto 5 Hect. 140.00 Lakh per unit Per beneficiary for general areas & 200.00 Lakh in case of Hilly & Tribal Areas.
14.	क्या योजनांतर्गत कोई ऋण का प्रावधान है ।	हां
	Whether any bank loan is envisaged under the	Yes
	Scheme.	
15.	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य	हां
	शासन द्वारा परियोजना रेखा (प्रोजेक्ट	
	प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये हैं।	
	Whether any project profiles etc. have been	Yes.
	prepared by the State Government for the use	
	beneficiaries.	
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।	कोई विशेष नहीं
	Additional details, if any	No any prescribed details

विभाग का नाम- मछली पालन विभाग

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप—योजनावार प्रेषित की जाए)	अंतर्देषीय माात्स्यिकी और जलकृषि का विकास
	Name of the scheme with su- components, if any (Please give the following details sub-componentwise, if applicable)	"Development of Inland Fisheries and Aquaculture."
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है । Whether it is a Government of India/State Government Sponsored Scheme?	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण केन्द्र प्रवर्तित योजना Centrally Sponsored Scheme
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department at the State Government level responsible for implementing the Scheme	मछलीपालन विभाग, छत्तीसगढ़ Fisheries Department Chhattisgarh
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग Nodal department at the District level responsible for implementing	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण जिलों में पंजीकृत संस्था है, इसके अध्यक्ष संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत है । Fish Farmer Development Agency is a Registered body.
5	the Scheme योजना का उद्देश्य Objective of the Scheme	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के उद्देष्य निम्नानुसार है:— 1. ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराना तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन उन्हें उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नित कराना । 2. पड़ित जलक्षेत्र में संघन मछली पालन के कार्य के अंतर्गत लाना तथा उनमें अधिक मत्स्योत्पादन करना । 3. मत्स्य कृषक जिन्हें तालाब 10 वर्षीय पट्टा दिया गया हे, सघन मछली पालन विधि अल्पाविध प्रिषक्षण योजना है। 4. मत्स्य कृषकों को तालाब की मरम्मत तथा मत्स्य पालन व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये प्रथम वर्ष की पूंजी के लिये बैंक से लम्बी अविध को ऋण तथा शासकीय अनुदान उपलब्ध कराकर उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करना। 1. BPL families are beneficiaries and tanks are given them for 10 year lease. They develop their socio economic condition

	I	
		 Barran water area are utilised throught integrated fish farming. Idendity fish farmers those who have provided tanks on lease for 10 years are trained for integrated fish farming and short term training. Loan and subsidy will be provided for 1st year fish culture and repairing of tank to get more target fish production.
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना कियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों / जिलों विकासखंडों के नाम दर्शायें जाए । Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, kindly indicate the regions/Districts/blocks where the Scheme is under implementation.	राज्य के पुराने 7 जिलों में योजना पंजीकृत है, जिसके अधीन प्रदेष के सभी नये जिले आ रहे है । FFDA is rgistered is 7 districts of the state and all new districcts covered this scheme.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक / सीमान्त कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग / पुरूष / महिला आदि) Type of Beneficiaries covered under the scheme (SF/MF/OF/SC/ST/Others/Men/Women etc.)	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे है को हितग्राही बनाया जाता है । Under FFDA Scheme beneficiaries are BPL class.
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मापदण्ड, यदि कोई हो तो ? Eligibility criteria for the beneficiary, if any	गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे व्यक्तियों को हितग्राही बनाया जाता है । इसके लिये निर्धारित प्राथमिकता कम निम्नानुसार है :— 1. मछुआ/अजजा/अजा की सहकारी समिति। 2. मछुआ/अजजा/अजा के समूह । 3. मछुआ/अजजा/अजा व्यक्ति विषेष। 4. विस्थापित मछुआ समिति/समूह/ व्यक्ति । 5. स्व सहायता समूह । Illigibility criteria for this scheme is BPL. Priorities fixed are as under:- 1. Society of fishermen ST/SC.
2		 Society of fishermen ST/SC. Group of fishermen ST/SC. Individual fishermen ST/SC. Migrated societies group/individual. Self help group.

क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर /दोनों व्यक्तिगत व समूह स्तर पर दी जाती है ?

Whether assistance is provided on an individual basis/group basis/both, individual and group basis

10 प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राषि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राहियों के लिए अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये ।

Details of subsidy provided. If the subsidy is provided on the bassis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rate (%) Minimum Maximum GOI contribution State Governnt contribution

सभी श्रेणी के मत्स्य पालकों को केवल एक बार सहायता (अनुदान) देने का प्रावधान है ।

Subsidy provision only once for all classes of fishermen whether they are societies/groups/individual.

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय पषुपालन एवं डेयरी विभाग नई दिल्ली के पत्र क. 31013/4/2001—fy(3) दिनांक 26.3.04 की छायाप्रति संलग्न है । इसमें निर्धारित पैटर्न अनुसार ही मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत 1 से 15 आयटमों में हितग्राहियों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । इसमें से 75 प्रतिषत भारत सरकार तथा 25 प्रतिषत राज्य ष्शासन द्वारा वहन किया जाता है ।

Photocopy of letter no. 31035/4/2001-fy(3) of Govt. of India Agriculture Ministry, Veternary, Dairy and Fisheries Department, New Delhi. Expenditure on all items below will be shared on 75:25 basis between Govt. of India and State. the pattern of subsidy will be provided to beneficiaries as per approved pattern for fish farmer development agency in the item no. 1 to 15 as follow:-

1. तालाबों का निर्माण -

रू.3.00 लाख /हेक्टेयर के मान से अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जन जातियों के लिये राजसहायता 75,000रू. प्रति हेक्टे.(25%) है। अन्य सभी वर्ग के किसानों के लिये रू. 60,000 प्रति हेक्टे. की अधिकतम सीमा के साथ 20% की दर से राजसहायता देय है।

1. Construction of new ponds-

Rs. 3.00 lakh/ha.for construction of pond. Under scheme subsidy @ of 20% with a cealing of Rs. 60,000/- ha for all farmers except SCs/STs for whom it will be Rs. 75,000/ha (25%).

2.तालाबों / टेंकों का पुनर्रुद्धार / नवीनीकरण रू. 75000 / हे. । अनुदान दर सभी किसानों को रू. 15000 / हे. अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिषत की दर से अनुसूचित जाति / जनजाति के किसानों के लिए रू. 18,750 / हे. ।

2. Reclaimation/Renovation of ponds/tanks Rs. 75000/ha. subsidy @ of 20% with the cealing of Rs. 15000/ha. for all farmers except SCs/STs for whom it will be Rs. 18,750/ha. (25%).

- 3. परिपूरक आहार हेतु :
- अ. फिनफिष कल्चर— रू. 50000 / हे. अनुदान दर सभी किसानों को 20 प्रतिषत की दर से अधिकतम सीमा रू. 10000 / हे. अनुसूचित जाति / जनजाति के किसानों के लिए रू. 12500 / हे. रू. 25 प्रतिषत ।
- ब. मीठे जल में झींगा पालन— इकाई लागत रू. 1.80 प्रति हे. अनुदान की दर 20 प्रतिषत अधिकतम सीमा रू. 36000 / हे.। अजा / जजा 45000 / –(25%).
- 3. Cast of inputs
- A. Finfish culture Rs. 50000/ha. subsidy @ of 20% with the cealing of Rs. 10000/ha. for all farmers except SCs/STs for whom it will be Rs. 12500/ha. (25%).
- B. Fresh water prawn culture Unit cost Rs. 1.80/ha. subsidy @ of 20% with the cealing of Rs. 36000/ha for ST/SC Rs. 45000/-.
- 4 ताजा जल मत्स्य बीज हैचरी –

मैदानी क्षेत्रों के लिए 10 मिलियन (फाई) क्षमता वाली 1 मत्स्य बीज हैचरी के लिए रू. 12 लाख तथा पहाड़ी राज्यों/जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सामान्य क्षमता के साथ रू. 16 लाख अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिषत की दर से अधिकतम सीमा रू. 1.20 एवं 1.60 अनुदान सहायतार्थ केवल उद्यमियों को ।

4. Fresh water fish seed hatchery: Rs. 12 lakh for a fish seed hatchery with 10 milion (fry) capacity for the plain area and Rs. 16 lakh for same capacity in the hill state/district and NE region subsdiy @ 10% with a cealing of Rs. 1.20 & 1.60 in the hilly areas to enterpreneurs only.

5.फिषफिड यूनिट : छोटी इकाई हेतु इकाई लागत रू. 7.50 लाख जिसकी उत्पादन क्षमता 12 क्विटल है अनुदान की दर 20 प्रतिषत के साथ अधिकतम सीमा रू. 1.50 लाख प्रति इकाई उद्यमियों को।

5.Fish Feed Unit: Small unit Uinit cost is Rs. 7.50 lakh with a capacity of 1.2 qintal/day. The subsidy would be @ 20% with a sealing of Rs. 1.50 lakh/unit to enterprnure.

- 6.टाऊट ताजा जल झींगा बीज हैचरी की स्थापना (1) 25 मिलियन पीएल / वर्ष की क्षमता वाली एक बड़ी ताजा जल झींगा हैचरी की युनिट लागत 30.00 लाख
- ताजा जल झींगा हैचरी की यूनिट लागत 30.00 लाख रूपये है । यह राज्य स्तर पर हैचरी की स्थापना के लिए राज्य को एकमुष्त अनुदान ।
- (2) 5 से 10 मिलियन पीएल / वर्ष की क्षमता वाली छोटी ताजा जल झींगा हैचरी की यूनिट लागत 12 लाख रूपये है । केवल उद्यमियों को रू. 2.40 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिषत की दर से एक बार देय ।
- 6.Establishment of trout and fresh water prawn seed hatchery:
- (1) Unit cost is Rs. 30.00 lakh for a large fresh water prawn hatchery with a minimum capacity of 25 million PL/year. This would be one time grant to state for establishment of hatchery at state level.
- (2) Unit cost of is Rs. 12 lakh for a small hatchery with 5-10 millions PL/year capacity. Subsidy @ of 20% with the cealing of Rs. 2.40 lakh to entrepreneur as one time grant.
- 7. प्रत्येक एफएफडीए को मिट्टी एवं जल परीक्षण कीट का प्रावधान है — प्रत्येक मिट्टी एवं जल परीक्षण कीट की यूनिट लागत रू. 30 हजार है । प्रत्येक एफएफडीए को एकमुष्त अनुदान के रूप में एक बार कीट मंजूर की जाती है ।
- 7.Provision of soil and water testing kits to each FFDA: Unit cost of each soil and water testing kits is Rs. 40000. The kits are sanctioned once to each FFDA as one time grant.
- 8.सजावटी मछिलयों के लिए हैचरियां सिहत समेकित इकाईों का गठन : इकाई लागत रू. 15.00 लाख जिसमें 5—10 मिलियन (फ्राई) की क्षमता की हैचरी ष्शामिल है। मत्स्य किसानों की सभी श्रेणियों के लिए रू. 1.50 लाख की अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिषत की दर से अनुदान सहायता।
- 8.Setting up of integrated units, including hatacheries for ornamental fishes; Unit cost is Rs. 15.00 lakh, which includes hatchery of 5-10 million (fry) capacity. Subsidy @ of 10% with a maximum cealing of Rs. 1.50 lakh to all categories of fish farmers.
- 9.सजावटी मछलियों के प्रजनकों को रखने की व्यवस्था हेतु रू. 25 लाख प्रति इकाई इसमें एक फार्म परिवहन की पूरी व्यवस्था होगी । यह राज्य ष्शासन के लिए उपलब्ध है ।

		9. Brood banks for ornamental fishes-Rs. 25 lakh per unit including a farm, transport arrangements for dissemination. Available for the State Governments.
		10.आलंकारिक / मत्स्य बीज का प्रमाणिकरण—रू. 25 लाख प्रति ईकाइ । इसमें मछली रखने की व्यवस्था एवं इनकी बीमारियों की जॉच हेतु लैब की व्यवस्था । यह राज्य शासन के लिए उपलब्ध है । 10.Ornamental/fish seed certification- Rs. 25 lakh per unit including fish holding facilities and diseases diagnostic laboratories. Available for the State Governments.
		11.मत्स्य/झींगा बीज की ढुलाई यह केवल पहाड़ी राज्यों/जिलों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए लागू होगा । सभी एफएफडीए को ढुलाई किए गए हजार फाई के लिए फ. 20 की दर से अनुदान सहायता व्यक्तिगत किसानों के लिए लागू नहीं । 11.Transporation of fish/prawn seed:- This will be applicable only for the hill state of the districts and NE region. Subsidy @ of Rs. 20 for 100 fry transported to all FFDAs. Not applicable to individual fish farmer.
		12.वाहनों की खरीद — नए मत्स्य कृषक विकास अभिकरण (एफएफडीए) के लिए वाहन की 50 प्रतिषत लागत तथा वाहन बदलने (दूसरा वाहन) के लिए 50 प्रतिषत लागत । 12.Purchase of vehicle: 50% cost of vehicle for each new FFDA and 50% cost for the replace vehicle (Second vehicle).
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिनन प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।	नहीं ।
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof than please be provided for different categories of beneficiaries.	No.
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित है ।	ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराना तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन एवं ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति करना है ।

	Type of economic activities envisaged under the scheme	To improve socio economic activities of BPL families in rural area they are provided tanks to fish farming and provided loan and subsidy also.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।	कुल लागत की सीमा केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत राषि के अंतर्गत है ।
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for single borrower/group. If so, please give details.	No ceiling has been fixed for individual/groups.
14	क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है ।	हां है ।
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	Yes.
15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिए राज्य ष्शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिये गये है ।	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में कार्यरत है । भारत ष्शासन के परिपत्र के बिन्दु क. 1 से 12 में उल्लेखित अनुसार अनुदान राषि दी जाती हैं
	Whether any project profiles etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	Govt. of India memp point No. 1 to 12.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	नहीं है ।
	Additional details, if any.	No.

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण विभाग का नाम—छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
	जानकारी उप—योजनावार प्रेषित की जाए)	
	Name of the Scheme with sub- components, if any please give the following details sub-component wise if applicable.	SC/ST
2	क्या यह योजना भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	जी हॉ
	Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme?	Yes
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग।
	Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	SC ST Development Department.
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. जिला।
	Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	Collector/ Chairman, Zila Antyayavasayi Sahakari Vikas Samiti maryadit.
5	योजना का उद्देश्य।	स्वरोजगार द्वारा आर्थिक विकास योजना
	Objective of the Scheme.	Money development scheme by self- employment.
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडो के नाम दर्शाये जाए।	राज्य के सभी जिलों में योजना संचालित।
	Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State? If not, indicate the regions/ districts/ blocks where the Scheme is under implementation.	The scheme is being implemented in all the districts of the State.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक / सीमान्त कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग / पुरूष / महिला आदि Type of Beneficiaries covered under the	अनु.जाति, अनु. जनजाति The Beneficiaries of SC/ST
	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	= 0

	Scheme.(SF/MF/OF/SC/ST/ Others /	
	Men / Women, etc.).	
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	गरीबी रेखा के नीचे ।
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	,
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	व्यक्तिगत स्तर पर।
	Whether assistance is provided on an	Individual basis.
10	individual basis/group basis or both. प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये। दर (%) न्यूनतम अधिकतम	1
	Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category- wise details Rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution	Loan to SC/ST 50% of total cost of Project or Rs 10,000 which ever is less.
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।	नही
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	No
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है।	कृषि संबंधित क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र/सेवा/ परिवहन क्षेत्र एवं सभी क्षेत्रों में ।
	Type of economic activities envisaged under the Scheme.	Agriculture area, Industrial area, Service / Transport area.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	राषि रू. 20,000 / — से अधिक
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so. please give details.	More than Rs. 20,000/-

14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	अंत्योदय स्वरोजगार योजना (अ.जा.) आदिवासी स्वरोजगार योजना ऋण (अ.ज.जा.) बैंक प्रवर्तित योजनाएँ है।
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	Antyodaya Swarojgar Yojana (SC) Adiwasi Swarojgar Yojana Loan (ST)
15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है।	आवश्यक नहीं पूर्व पेर्टन पर है।
	Whether any project profiles, etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	Not required. Based on previous pattern.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	निगम द्वारा उपरोक्त योजना बैंक के माध्यम से चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त निगम स्वयं के द्वारा (राज्य से) एवं राष्ट्रीय निगम से वित्त पोषित योजनाओं में सीधे ऋण सहायता देने एवं प्रषिक्षण कार्यक्रम का संचालन करता है। बैंक प्रवर्तित योजनाओं में निगम द्वारा प्रषिक्षित युवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है।
	Additional details if any	The scheme is being executed through banks. In addition to this, the corporation also provides direct loan and organises training under state sponsored and national corporation sponsored schemes. The youths trained by the corporation are also included in bank sponsored schemes.

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण विभाग का नाम :— छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

	पारवार मूलक याजना
components,if any	Family Oriented Scheme.
क्या यह योजना भारत सरकार/ राज्य	राज्य शासन
शासन द्वारा प्रवर्तित है?	
Whether it is government of	State Government .
India/State Government sponsored	
Scheme \	
राज्य शासन के स्तर पर योजना	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	
Nodal Department/Directorate at the	
State level responsible for	CG Khadi and Gramodyog Board.
implementing the Scheme	
	खादी बोर्ड में जिला अधिकारी।
	District Officer of Khadi Board.
याजना का उद्श्य।	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का
	सृजन करना।
Objective of the Scheme	Employment Generation in rural
क्या यह योजना राज्य के सभी जिल्लों में	areas.
	ואידו ו די דו אווי ענו ען ען אידו ו די
i i	
• • • • • • • •	
	The scheme is being implemented in
·	The scheme is being implemented in all the districts of the State.
districts/blocks where the Scheme is	an the districts of the State.
under implementation	
	शासन द्वारा प्रवर्तित है? Whether it is government of India/State Government sponsored Scheme \ राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme जिला स्तर पर योजना कियान्व्यन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal office at the Distict level responsible for implementing the Scheme योजना का उदेश्य। Objective of the Scheme क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो यहां पर योजना कियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों / जिलों / विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए। Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is

7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत	सभी प्रकार के हितग्राहियों को योजनान्तर्गत
'	सम्मिलित किये गये है (लघु	
	कृषक / सीमांत कृषक / अन्य	
	कृषक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित	
	जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/ पुरूष /	
	महिला आदि)	All types of Beneficiaries.
	Type of Beneficiaries covered under	
	the Scheme.	
	(SF/MF/OF/SC/ST/Others/ Men/	
	Women, etc.)	() () () ()
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड यदि	
	कोई हो तो	डिफाल्टर न हो।
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any	Age over 18 years and not a defaulter of bank.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह	व्यक्तिगत / समूह स्तर
	स्तर पर्/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर	
	पर / दोनो व्यक्तिगत व्यक्तिगत समूह स्तर	
	पर दी जाती है?	
	Whether assistance is provided on an	
	individual basis/both, individual and	Both individual & group basis.
10	group basis. प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण	परिवार मूलक योजना अनुसूचित जाति,
10	(यदि अनुदान की राशि हितग्राहियों के	अनुसूचित जनजाति , अल्प संख्यक एवं
	प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक	सामान्य वर्ग को परियोजना लागत के 50:
	प्रकार के हितग्राहियों के लिये अलग–अलग	या अधिकतक 13500/— अनुदान देय जो
	जानकारी प्रस्तुत की जायें)	भी कम हो।
	Whether assistance is provided on an	Maximum subsidy Rs. 13500/-
	individual/group basis or both.	Subsidy is providedto SC/ST/OBC/
		General / Minority Category family
		50% subsidy of the project cost or Rs.
4.4	क्या अनुसार के अधिक के समूची नाम	13500/- whichever is less.
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है यदि	
	काइ मार्जिन मना दन का प्रावधान ह याद हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के	אויאוין אוי די אויאוין
	हि। ता विभिन्न प्रकार के हितग्राहिया के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जायें।	
	ालम यह जागकारा अस्तुत का जाय।	
	Whether any margin money is	
	envisaged from the beneficiary, other	
	than subsidy being provided. If so,	No provision of margin money.
	details there of may please be	
	provided for different categories of	
	beneficiaries.	

12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों	ऋण राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी बैंकों के
	योजनान्तर्गत अपेक्षित है?	माध्यम से तथा अनुदान बोर्ड द्वारा देय होता
	Type of econonic activities envisaged under the Scheme.	है।
	under the Scheme.	Loan amount is provided by National
		Bank & Cooperative Bank and subsidy is provided by the Department.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये	अधिकतम एक लाख रूपये तक सीमा
13	कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की	निर्धारत है।
	गई है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण	Marking
	प्रस्तुत करें?	
	Whether any ceiling has been fixed on	Maximum limit is Rs. 1.00 lacs.
	the financial outlay for a single	
	borrower/group. If so, please give	
	details.	
14	क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का	हितग्राही को बैंक द्वारा परियोजना लागत
	प्रावधान है?	अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाता है।
	Whether any bank Loan is envisaged	Loan is sanctioned to Beneficiaries as
	under the Scheme.	per Profect Cost.
15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य	नहीं
	शासन द्वारा परियोजना रूपरेखा (प्रोजेक्ट	
	प्रोफाइल) तैयार कर लिये गये है?	
	Whether any project profiles etc. have	
	been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	No
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	योजना का क्रियान्वयन बीस हजार से कम
10	Additional details if any.	आबादी के ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया
	Traditional dotallo il diry.	जायेगा।
		Scheme implemented on Rural Areas,
		Population below twenty thousand.

विभाग का नाम:- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप— योजनावार प्रेषित की जाए)	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को 12 वीं पंचवर्षीय योजना में पुनर्गठित कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (NULM) कियान्वित किए जाने का निर्देष प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन राज्य में 1 अप्रैल 2014 से पूर्ण रुप से लागू है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन सात विभिन्न घटकों से कियान्वित की जावेगी:— • कौषल प्रषिक्षण के माध्यम से रोजगार • सामाजिक गतिषीलता एवं संस्थागत विकास • प्रषिक्षण और क्षमता निर्माण • स्व—रोजगार कार्यक्रम • शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना • शहरी पथ विकेताओं को सहायता • अभिनव और विषेष परियोजनाएं
	Name of the Scheme with sub-components, if any please give the following details sub-components wise if applicable.	The Centrally sponsored scheme Swarna Jayanti Sahari Rojgar Yojana has been restructured and renaming as National Urban Livelihood Mission in the 12 th Five year plan. The National Urban Livelihood Mission implemented in the State from 1 st of April, 2014. National Urban Livelihood Mission will be implemented under 7 components • Employment through Skill Training & Placement • Social Mobilization & Institution Development • Capacity Building & Training • Self Employment Programme • Shelter for Urban Homeless • Support to Urban Street Vendors • Special / innovative Projects
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ।	यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, इसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंषदान

		क्रमषः ७५:२५ निर्धारित किया गया है ।
	Whether it is a government of India / State	This is a Centrally sponsored Scheme and the
	Government sponsored Scheme ?	financing of the Mission shall be shared between
2		the Centre and the States/UTs in the ratio of 75:25.
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन	राज्य शासन स्तर पर योजना के क्रियान्वयन
	हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण को
		नोडल विभाग बनाया गया है।
	Nodal Department/ Directorate at the State level	At the State Government level for the
	responsible for implementing the Scheme.	implementation of Scheme, the State urban Development Agency will be the Nodal Agency.
		Development Agency will be the Nodal Agency.
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु	जिला स्तर पर योजना के कियान्वयन हेतु
	उत्तरदायी नोडल विभाग ।	प्रदेष के समस्त जिलों में नगरीय निकायों में
		सिटी मिषन प्रबंधन ईकाई गठित कर
		नोडल विभाग बनाये गये है।
	Nodal Office at the District Level responsible for	At the District level for the implementation of the
	implementing the Scheme.	Scheme, City Mission Management Unit will formed under concerned ULBs. City Mission
		Management Unit will working as Nodal agency.
5		
3	योजना का उद्देष्य ।	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उदेष्य
		शहरी गरीब परिवारो को जमीनी स्तर पर
		संस्थाओं का निर्माण करके उनको लाभप्रद
		स्वरोजगार और कौषल के आधार पर वेतन
		मुक्त रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में
		सक्षम बनाना एवं उनकी गरीबी और असुरक्षा
		को दूर करना है।
	Objective of the Scheme	To reduce poverty and vulnerability of the urban poor households by enabling them to access
		gainful self-employment and skilled wage
		employment opportunities, resulting in an
		appreciable improvement in their livelihoods on a
		sustainable basis, through building strong
		grassroots level institutions of the poor.

6	क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना कियान्वित की जा रहीं है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखण्डों के नाम दर्षाये जाए ।	12 वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (एनयूएलएम) को सभी जिला मुख्यालय नगरों एवं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 100,000 एवं उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी अन्य शहरों में कियान्वित किया जाएगा। विषिष्ट मामलों में राज्यों के अनुरोध पर अतिरिक्त शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रदेष में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन 28 शहरों में लागू होंगे, जिसमें राज्य के 27 जिला मुख्यालय एवं भिलाई शहर सम्मिलित होगें।
	Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State ? If mot, indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation .	In the 12th Five Year Plan, NULM will be implemented in all District headquarter Towns and all other cities with a population of 100,000 or more as per 2011 Census. However, other towns may be allowed in exceptional cases on request of the States.
		In the State the National Urban Livelihood Mission will be implemented 28 cities, of which 27 District headquarter and Bhilai city will be included.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक / सीमान्त कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जानजाति अन्य पिछडे वर्ग / पुरूष / महिला आदि ।	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (एनयूएलएम) का लक्ष्य शहरी गरीबों से है। इन में से विषेष ध्यान शहरी बेघर, पथ विकेता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगो आदि जैसे वंचित समूहों पर होगा।
	Type of Beneficiaries covered under the Scheme (SF/MF/OF/SC/ST / Other / Men/Women etc)	The target population of the National Urban Livelihood Mission broadened to include families of disadvantaged groups like urban homeless, urban street vendors, SCs, STs, women, minorities, disabled etc.
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (एनयूएलएम) का लक्ष्य शहरी गरीब है। इन में से विषेष ध्यान शहरी बेघर, पथ विक्रेता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगो आदि जैसे वंचित समूहों पर होगा।
	Eligibility ceiteria for the beneficiary, if any	The target population of the National Urban Livelihood Mission broadened to include families of disadvantaged groups like urban homeless, urban street vendors, SCs, STs, women, minorities, disabled etc.

9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर	योजनान्तर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम (Self
	पर /दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर	Employment Programme) में स्वयं का रोजगार
	/ दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती	स्थापति करने के लिये आर्थिक सहायता
	है ।	(ऋण+अनुदान) व्यक्तिगत स्तर पर⁄समूह
		स्तर पर दोनों ही स्तर पर दिये जाने का
		प्रावधान है ।
	Whether assistance is provided on an individual	Yes, both individuals and groups are benefited in
	basis/group basis or both.	the scheme under various component.
		1. Individuals are benefited under Programme
		called SEP- I (Self Employment Programme) Loan
		& Subsidy. 2-Women self Helf groups are benifited under
		Programme SEP- G (Self Employment Programme
		Group) Loan & Subsidy.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि	व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए
	अनुदान की राषि, हितग्राहियों के प्रकार पर	परियोजना लागत की उच्चतम सीमा रुपए 2
	आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के	लाख तथा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के
	हितग्राही के अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की	लिए रुपए 10 लाख होगी। व्यक्तिगत अथवा
	जायें ।	सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक
	दर (%) न्यूनतम अधिकतम	ऋण पर 7% से अधिक ब्याज पर अनुदान
	· / · ·	दिया जाने का प्रावधान है।
		बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज पर
		अनुदान, बैंक ऋण प्राप्त करने वाले सभी
		स्वयं-सहायता समूहों पर भी लागू होगा।
		सभी शहरों में अपने ऋण का समय पर
		भुगतान करने वाले महिला समूहों को
		अतिरिक्त ३% ब्याज अनुदान प्रदान किये
		जावेगें।
	Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided	To establish the individual enterprise the maximum
	on the basis of the category of beneficiary please give	unit project cost limit would be of Rs 2.00 lakh and
	category-wise details Rate (%) Minimum	for group enterprise the maximum upper limit of would be of Rs 10.00 lakh.
	Maximum Maximum	Would be of to 10.00 lakil.
	GOI Contribution	Interest Subsidy over and above 7 percent rate of
	State Government Contribution	interest will be applicable to all SHGs accessing
		bank loan. An additional 3 percent interest
		subvention will be provided to all women SHGs/
		Individual who repay their loan in time in all the cities.
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई	योजनान्तर्गत् हितग्राहियों को व्यक्तिगत
	मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हो तो	उद्यम / परियोजना हेतु लागत सीमान्त राषि
	विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह	(मार्जिन मनी) का प्रावधान भारत सरकार

	जानकारी प्रस्तुत की जायें ।	द्वारा प्रेषित गाइड लाईन में वर्णित नहीं है, योजनांतर्गत समूह ऋण प्रकरण हेतु हितग्राहियों का लागत सीमान्त राषि (मार्जिन मनी) का निर्धारण बैंकों के अनुसार किये जाने का उल्लेख भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाइड लाईन में उल्लेख किया गया है।
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so details there of may please br provided for different categories of beneficiaries.	Under the Scheme margin money for Individual Enterprise is not mentioned in Guide Line provided by Gol.
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों योजनान्तर्गत अपेक्षित है ।	योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, रोजगारमुखी प्रषिक्षण दिलाना, शहरी पथ विकेताओं को सहायता, केडिट कार्ड के माध्यम से कार्यषील पूँजी की व्यवस्था किये जाने का उल्लेख गाइड लाईन में किया गया है।
	Type of economic activities envisaged under the Scheme	For the promotion of self employment of beneficiaries, under this component the beneficiaries will be supported for loan for manufacturing/ Service and Trading Activities.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाईड़ लाईन F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA दिनांक 18. 12.2013 के अनुसार योजनान्तर्गत हितग्राही को स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इकाई के अधिकतम लागत रूपये 2 लाख निर्धारित की गई है, और समूह लोन हेतु अधिकतम रूपये 10 लाख निर्धारित की गई है।
	Whether any celling has been fixed on the financial outly for a single borrower/group if so. Please give details.	As per the guidline forwarded the Govt. of India F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA fnukad 18-12-2013 Under this component, setting up of both individual and group micro enterprises will be supported. The project cost ceiling will be Rs. 2.00 lakh for individual enterprises and Rs. 10 Lakh for group enterprises.
14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाईड़ लाईन F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA दिनांक 18. 12.2013 के अनुसार योजनान्तर्गत हितग्राही को स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इकाई के अधिकतम लागत रूपये 2 लाख निर्धारित की

	Whether any bank loan is envisaged unser the	गई है, और समूह लोन हेतु अधिकतम रुपये 10 लाख निर्धारित की गई है। As per the guidline forwarded the Govt. of India
	Scheme.	F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA fnukad 18-12-2013, the project cost ceiling will be Rs. 2.00 lakh for individual enterprises and Rs. 10 Lakh for group enterprises
15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप—रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है।	वित्तीय वर्ष 2015—16 के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन वार्षिक कार्य योजना आवास एवं शहरी गरीबी उपषमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित दिषा—निर्देषानुसार तैयार कर अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किया जाना है।
	Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	The Annual Action plan for state is prepared as per the guideline of the Govt. of India and is approved by Govt. of India.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	प्रदेष में राष्ट्रीय शहरी जीविका मिषन 28 शहरों में लागू होंगे, जिसमें राज्य के 27 जिला मुख्यालय एवं भिलाई शहर सम्मिलित होगें। राज्य के शेष 141 निकायों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (NULM) के लिए प्रावधान नहीं है। प्रदेष के 141 निकायों में गरीबी उपषमन एवं कौषल उन्नयन हेतु राज्य प्रवर्तित योजना अंतर्गत पृथक परियोजना तैयार कर शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।
	Additional details if any	In the State the National Urban Livelihood Mission will be implemented 28 cities, of which 27 District headquarter and Bhilai city is included as per the guideline. Rest 141 ULBs are not covered under NULM guideline. In order to cover 141 ULBs, the separate state sponsored scheme for the promotion of Self employment and skill training formulated and sent to the Government of Chhattisgarh for approval.

विभाग का नाम:- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप— योजनावार प्रेषित की जाए)	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को 12 वीं पंचवर्षीय योजना में पुनर्गठित कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (NULM) कियान्वित किए जाने का निर्देष प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन राज्य में 1 अप्रैल 2014 से 28 शहरों में लागू है। शेष 141 निकायों में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिषन विभिन्न 5 घटकों से कियान्वित की जावेगी:— • कौषल प्रषिक्षण के माध्यम से रोजगार • सामाजिक गतिषीलता एवं संस्थागत विकास • प्रषिक्षण और क्षमता निर्माण • स्व—रोजगार कार्यक्रम • शहरी पथ विकेताओं को सहायता
	Name of the Scheme with sub-components,if any please give the following details sub-components wise if applicable.	The Centrally sponsored scheme Swarna Jayanti Sahari Rojgar Yojana has been restructured and renaming as National Urban Livelihood Mission in the 12th Five year plan. The National Urban Livelihood Mission implemented in the State from 1st of April, 2014 in 28 cities. State Sponsored-Mukhyamantri Shahari Aajeevika Mission will be implemented under 5 components in 141 ULBs • Employment through Skill Training & Placement • Social Mobilization & Institution Development • Capacity Building & Training • Self Employment Programme • Support to Urban Street Vendors
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ।	यह योजना राज्य प्रवर्तित योजना है, इसमें राज्य सरकार का अंषदान 100 प्रतिषत है ।
	Whether it is a government of India / State Government sponsored Scheme ?	This is a State sponsored Scheme and the financing of the Mission shall borne by State in the ratio of 100%

3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	राज्य शासन स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण को नोडल विभाग बनाया गया है।
	Nodal Department/ Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	At the State Government level for the implementation of Scheme, the State urban Development Agency will be the Nodal Agency.
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग ।	जिला स्तर पर योजना के कियान्वयन हेतु प्रदेष के समस्त जिलों में 141 नगरीय निकायों में सिटी मिषन प्रबंधन ईकाई गठित कर नोडल विभाग बनाये गये है।
	Nodal Office at the District Level responsible for implementing the Scheme.	At the District level for the implementation of the Scheme, City Mission Management Unit will formed under concerned 141 ULBs. City Mission Management Unit will working as Nodal agency.
5	योजना का उद्देष्य ।	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन का उदेष्य शहरी गरीब परिवारो को जमीनी स्तर पर संस्थाओं का निर्माण करके उनको लाभप्रद स्वरोजगार और कौषल के आधार पर वेतन मुक्त रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना एवं उनकी गरीबी और असुरक्षा को दूर करना है।
	Objective of the Scheme	To reduce poverty and vulnerability of the urban poor households by enabling them to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities, resulting in an appreciable improvement in their livelihoods on a sustainable basis, through building strong grassroots level institutions of the poor.
6	क्या यह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना कियान्वित की जा रहीं है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखण्डों के नाम दर्षाये जाए ।	आजीविका मिषन लागू है, को छोड़कर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिषन लागू की
	Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State ? If mot, indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation .	State Sponsored- Mukhyamantri Shahari Aajeevika Mission will be implemented in 141 ULBs expect 28 NULM Mission Cites.

7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जानजाति अन्य पिछडे वर्ग/ पुरूष /महिला आदि ।	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिषन (एमयूएलएम) का लक्ष्य शहरी गरीबों से है। इन में से विषेष ध्यान शहरी बेघर, पथ विकेता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगो आदि जैसे वंचित समूहों पर होगा।
	Type of Beneficiaries covered under the Scheme (SF/MF/OF/SC/ST / Other / Men/Women etc)	The target population of the State Sponsored-Mukhyamantri Shahari Aajeevika Mission broadened to include families of disadvantaged groups like urban homeless, urban street vendors, SCs, STs, women, minorities, disabled etc.
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिषन (एमयूएलएम) का लक्ष्य शहरी गरीब है। इन में से विषेष ध्यान शहरी बेघर, पथ विकेता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, विकलांगो आदि जैसे वंचित समूहों पर होगा।
	Eligibility ceiteria for the beneficiary, if any	The target population of the State Sponsored-Mukhyamantri Shahari Aajeevika Mission broadened to include families of disadvantaged groups like urban homeless, urban street vendors, SCs, STs, women, minorities, disabled etc.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर /दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर /दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है ।	योजनान्तर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम (Self Employment Programme) में स्वयं का रोजगार स्थापति करने के लिये आर्थिक सहायता (ऋण+अनुदान) व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर दोनों ही स्तर पर दिये जाने का प्रावधान है ।
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	Yes, both individuals and groups are benefited in the scheme under various component. 1. Individuals are benefited under Programme called SEP- I (Self Employment Programme) Loan & Subsidy. 2-Women self Helf groups are benifited under Programme SEP- G (Self Employment Programme Group) Loan & Subsidy.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राषि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जायें । दर (%) न्यूनतम अधिकतम	व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत की उच्चतम सीमा रुपए 0. 50 लाख तथा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए रुपए 2.00 लाख होगी। व्यक्तिगत अथवा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज पर अनुदान

		दिया जाने का प्रावधान है।
		बैंक ऋण पर 7% से अधिक ब्याज पर
		अनुदान, बैंक ऋण प्राप्त करने वाले सभी स्वयं–सहायता समूहों पर भी लागू होगा। सभी
		शहरों में अपने ऋण का समय पर भुगतान करने वाले महिला समूहों को अतिरिक्त 3%
		ब्याज अनुदान प्रदान किये जावेगें।
	Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary please give category-wise details Rate (%) Minimum Maximum	To establish the individual enterprise the maximum unit project cost limit would be of Rs 0.50 lakh and for group enterprise the maximum upper limit of would be of Rs 2.00 lakh.
	GOI Contribution State Government Contribution	Interest Subsidy over and above 7 percent rate of
	State Government Contribution	interest will be applicable to all SHGs accessing bank loan. An additional 3 percent interest subvention will be provided to all women SHGs/ Individual who repay their loan in time in all the cities.
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हो तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह	योजनान्तर्गत हितग्राहियों को व्यक्तिगत उद्यम/परियोजना हेतु लागत सीमान्त राषि (मार्जिन मनी) का प्रावधान भारत सरकार द्वारा
	जानकारी प्रस्तुत की जायें ।	प्रेषित गाइड लाईन में वर्णित नहीं है, योजनांतर्गत समूह ऋण प्रकरण हेतु हितग्राहियों का लागत सीमान्त राषि (मार्जिन
		मनी) का निर्धारण बैंकों के अनुसार किये जाने का उल्लेख भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाइड लाईन में उल्लेख किया गया है।
		the restriction of
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so details there of may please br provided for different categories of beneficiaries.	Under the Scheme margin money for Individual Enterprise is not mentioned in Guide Line provided by Gol.
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों	योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत
	योजनान्तर्गत अपेक्षित है ।	हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, रोजगारमुखी प्रषिक्षण
		दिलाना, शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता,
		केडिट कार्ड के माध्यम से कार्यषील पूॅजी की व्यवस्था किये जाने का उल्लेख गाइड लाईन
		में किया गया है।
	Type of economic activities envisaged under the Scheme	For the promotion of self employment of beneficiaries, under this component the beneficiaries

		will be supported for loan for manufacturing/ Service
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	and Trading Activities. भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाईड़ लाईन F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA दिनांक 18. 12.2013 के अनुसार योजनान्तर्गत हितग्राही को स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इकाई के अधिकतम लागत रूपये 2 लाख निर्धारित की गई है, और समूह लोन हेतु अधिकतम रूपये 10 लाख निर्धारित की गई है, किन्तु प्रथम वर्ष में व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत की उच्चतम सीमा रूपए 0. 50 लाख तथा सामूहिक उद्यम स्थापित करने
	Whether any celling has been fixed on the financial outly for a single borrower/group if so. Please give details.	के लिए रुपए 2.00 लाख होगी। As per the guidline forwarded the Govt. of India F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA fnukad 18-12-2013 Under this component, setting up of both individual and group micro enterprises will be supported. The project cost ceiling will be Rs. 2.00 lakh for individual enterprises and Rs. 10 Lakh for group enterprises. In first year to establish the individual enterprise the maximum unit project cost limit would be of Rs 0.50 lakh and for group enterprise the maximum upper limit of would be of Rs 2.00 lakh.
14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	भारत सरकार द्वारा प्रेषित गाईड़ लाईन F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA दिनांक 18. 12.2013 के अनुसार योजनान्तर्गत हितग्राही को स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत इकाई के अधिकतम लागत रूपये 2 लाख निर्धारित की गई है, और समूह लोन हेतु अधिकतम रूपये 10 लाख निर्धारित की गई है, किन्तु प्रथम वर्ष में व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजना लागत की उच्चतम सीमा रूपए 0. 50 लाख तथा सामूहिक उद्यम स्थापित करने के लिए रूपए 2.00 लाख होगी।
	Whether any bank loan is envisaged unser the Scheme.	As per the guidline forwarded the Govt. of India F.No.K-14014 /58(10)/2012-UPA fnukad 18-12-2013, the project cost ceiling will be Rs. 2.00 lakh for individual enterprises and Rs. 10 Lakh for group enterprises. In first year to establish the individual enterprise the maximum unit project cost limit would be of Rs 0.50 lakh and for group enterprise the maximum upper limit of would be of Rs 2.00 lakh.

15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप—रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है।	वित्तीय वर्ष 2015—16 के मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिषन वार्षिक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित किया जाना है।
	Whether any project profiles etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	The Annual Action plan for state is prepared and sent to Govt. of CG for approval .
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	प्रदेष में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन 28 शहरों में लागू होंगे, जिसमें राज्य के 27 जिला मुख्यालय एवं भिलाई शहर सम्मिलित होगें। राज्य के शेष 141 निकायों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन (NULM) के लिए प्रावधान नहीं है। प्रदेष के 141 निकायों में गरीबी उपषमन एवं कौषल उन्नयन हेतु राज्य प्रवर्तित योजना मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिषन अंतर्गत पृथक परियोजना तैयार कर शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।
	Additional details if any	In the State the National Urban Livelihood Mission will be implemented 28 cities, of which 27 District headquarter and Bhilai city is included as per the guideline. Rest 141 ULBs are not covered under NULM guideline. In order to cover 141 ULBs, the separate state sponsored State Sponsored-Mukhyamantri Shahari Aajeevika Mission scheme for the promotion of Self employment and skill training formulated and sent to the Government of Chhattisgarh for approval .



राज्य साख योजना 2015-16 STATE CREDIT PLAN 2015-16

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम :- कृषि संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर।

1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी योजनावार प्रेषित की जाए।) Name of the Scheme with sub-components (if any please give the following details sub-component wise if applicable.	वितरण योजना (i) पावर टिलर क्रय पर अनुदान । (ii) हस्त चलित / बैल चलित / शक्ति चलित यंत्रों पर अनुदान। Promotion of Farm Mechanization in Sub mission (i) Subsidy on Purchase of Power Tiller (ii) Subsidy on Hand Operated/Bullock Driven/Power Driven Agricultural Implements.
2.	वया यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ? Whether it is a Government of India/State Government sponsored scheme ?	केन्द्र प्रवर्तित योजना Central Sponored Scheme
3.	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	कृषि संचालनालय छ.ग. रायपुर। Directorate of Agriculture CG Raipur.
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Office at the district level responsible for implementing Scheme.	उप संचालक कृषि, कृषि विभाग। Dy Director Agriculture, Department of Agriculture.
5.	योजना का उद्देश्य. Objective of the Scheme.	कृषकों को कृषि यांत्रिकीकरण हेतु प्रोत्साहित कर यांत्रिकीकृत खेती को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन बढ़ाने और श्रम, समय तथा धन की बचत करना। Promotion of Farm mechanization save time of labour of Farmers in increasing the crop production
6.	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए। Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, kindly indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation	यह योजना सभी जिलों में क्रियान्वित हो रही है। This Scheme is being implemented in all districts of State.
7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है। (लघु कृषक/सीमांत कृषक/अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग/पुरूष महिला आदि) Type of beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Others/Men/Women, etc.)	योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के कृषक सम्मिलित है। All types of Beneficiaries are covered under the scheme.

राज्य साख योजना 2015-16 STATE CREDIT PLAN 2015-16

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण विभाग का नाम :- कृषि संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर।

1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों	शाकम्भरी योजना
	सहित। यदि कोई हो तो, (यदि लागू	(i) 5 एच.पी. तक के डीजल/विद्युत/ओपेनवेल
	होता हो, तो कृपया निम्नांकित	सबमर्सिबल पंप पर अनुदान.
	जानकारी योजनावार प्रेषित की जाए।)	(ii) कूप निर्माण पर अनुदान.
	Name of the Scheme with sub-	Shakambhari Yojna.
	components (if any please give the	(i) Subsidy on Diesel/Electric/Openwell Submercible
	following details sub-component	Pumps upto 5 HP.
	wise if applicable.	(ii) Subsidy on Dug wells.
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य	राज्य पोषित योजना
	शासन द्वारा प्रवर्तित है ?	State Govt. Sponsored.
	Whether it is a Government of	
	India/State Government sponsored	
	scheme?	
3.	राज्य शासन के स्तर पर योजना	कृषि संचालनालय छ.ग. रायपुर।
	क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल	Directorate of Agriculture CG Raipur.
	विभाग।	
	Nodal Department/Directorate at	
	the State level responsible for	
	implementing the Scheme.	
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु	उप संचालक कृषि, कृषि विभाग।
	उत्तरदायी नोडल विभाग।	Dy Director Agriculture, Department of Agriculture.
	Nodal Office at the district level	
	responsible for implementing	
	Scheme.	
5.	योजना का उद्देश्य.	(1) प्राकृतिक जल संसाधनों का समुचित दोहन.
	Objective of the Scheme.	(2) कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में वृद्धि.
		(3) कृषकों का आर्थिक उन्नयन.
		(1) Proper utilization of natural water resource.
		(2) Increase in Agriculture & Horticulture Crop
		production.
		(3) Promotion of economic state of Farmers.

T	6.	क्या वह योजना राज्य के सभी	राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित.
		जिलों में क्रियान्वित की जा रही	All Districts of the State.
		है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर	
		योजना क्रियान्वित की जा रही	
		उन क्षेत्रों / जिलों / विकास खण्डों	
		के नाम दर्शाये जाए।	
1		Whether the Scheme is being	
		implemented in all the	
		districts of the State? If not,	
		kindly indicate the	
		regions/districts/blocks	
	,	where the Scheme is under	
-		implementation.	\
	7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना	केवल लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक.
		के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये	Only Small & Marginal Farmers.
		है (लघु कृषक/सीमांत	
		कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित	
		जाति / अनुसूचित जनजाति /	
		अन्य पिछड़े वर्ग/पुरूष महिला	
		आदि)	
		Type of beneficiaries covered under the Scheme.	
		(SF/MF/OF/SC/ST/	
1		Others/Men/ Women, etc.)	
-	8.	हितग्राहीयों के लिए पात्रता	(1) ऐसे लघु एवं सीमांत श्रेणी के कृषक जिन्होनें पूर्व में किसी
	0.	मानदण्ड, आदि कोई हो तो	अनुदान योजना में सिंचाई पंप अथवा कूप निर्माण कार्य न
		Eligibly criteria for the	कराया हो।
2	Ä.	beneficiary if any.	(2) सिंचाई पंप हेतु ऐसे कृषक जिनके पास ऐसा जल स्त्रोत
			हो जिसमें पूरे वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता हो।
			(1) Those small & marginal farmers who have not taken
			advantage of Subsidy on irrigation Pump and Dug
			Well under any Scheme.
			(2) For irrigation pumps these farmers who have source
			of water available throughout the year.
		~	0. 1
	9.	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर	सिंचाई पंप एवं कूप निर्माण में सहायता व्यक्तिगत रूप से दी
		समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत	जाती है।
		एवं समूह स्तर पर/दोनों	Assistance is provided on individual basis on irrigation
		व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी	pumps as well as on Dug well.
		जाती है।	
		Whether assistance is	
		provided on an individual basis/ group basis/both	
		basis/ group basis/both individual and group basis.	
L		marviduai and group basis.	

10	war at a star and		T	Ţ			
10.	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक			अधिकतम इ	काई लागत	अनुदान का	
	विवरण (यदि अनुदान की राशि,	स.क्र.	घटक	Max. Ui	nit Cost.	प्रतिशत्	अनुदान सीमा
	हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है	S.No.	Component	हार्सपावर/	इकाई लागत	% of	Extent of Subsidy amount
	तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही		**	स्पेशिफिकेशन	(ক.)	Subsidy	amount
	के लिए अलग–अलग जानकारी			0.5	5200.00		अधिकतम इकाई
	प्रस्तुत की जाए।			1.00	8450.00		लागत अथवा
	दर (प्रतिशत्) न्यूनतम अधिकतम	1.	विद्युत पंप	1.50	11700.00		वास्तविक लागत
			(Elec. Pump)	2.00	12350.00	75%	का 75% जो भी
	Details of subsidy provided. If			3.00	16250.00	7070	कम हो
	the subsidy is provided on the		डीजल पंप	5.00 3.00	19500.00 20000.00		75% of Max. Unit
	basis of the category of	2.	(Disel Pump)	5.00	22500.00		cost or actual cost
	beneficiary please give category			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		500/	whichever is less
	wise details Rate (%)	3.		ग हेतु भूमि का		50%	अधिकतम इकाई
	Minimum, Maximum		1. ग्रेनाईट ग्नीसेस	Dia - 6m Depth - 10m	37500.00		लागत अथवा
	GOI Contribution		बेसाल्ट कड़ी	Steining - 4m			वास्तविक लागत
	State Government Contribution		चट्टान	Dia - 6m			का 50% जो भी
			(Granite Ginises Basalt heard rock)	Depth - 12m	41200.00		कम हो
			Basan neard rock)	Steining - 4m			50% of Max. Unit cost or actual cost
	*		*	Dia - 5m Depth - 14m	40000.00		whichever is less
				Steining - 4m	40000.00		
			*	Dia - 5m			
				Depth - 16m	50400.00		
				Steining - 4m			
			2. कछारी भूमि	Dia - 3m	25500.00		
			(Alluvaila)	Depth - 12m Steining - 12m	35500.00		
		L		12.138	<u> </u>	/4	
	A.						
	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही	-) f mf	Y- 11 7 7 -	G: 4 .			
11.	0						
	द्वारा कोई मार्जिन मनी देय का	No Mar	gin money is n	eeded.			
	प्रावधान है।						
	यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के						
	हितग्राहियों के लिए यह जानकारी						
	प्रस्तुत की जाए।						
	Whether any margin money is			*			
	envisaged from the beneficiary						
	other than subsidy being						
	provided. If so, details there of						
	may please be provided for						
	different categories of the						
	beneficiaries.						
12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां	कोई नही	İ				
12.	योजनांतर्गत अपेक्षित है।	Nothing					
		1 Touring	•				
	Type of economic activities						
	envisaged under the Scheme.						

13	क्या व्यक्तिगत हित्याही / समह के लिए	अधिकतम इकाई लागत अथवा वास्तविक लागत पर अनुदान प्रतिशत् राशि,
13	कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित	
	की गयी है। यदि हाँ तो कृपया इसका	% of subsidy on max. unit cost or actual cost, whichever is less.
	विवरण प्रस्तुत करें।	of basis of main obstations, will one to its loss.
	Whether any ceiling has been fixed	
	on the financial outlay for a single	
	borrower/ group if so. please give	
	details.	
14	1	जी हॉ
	प्रावधान है।	Yes
	Whether any bank loan is	
	envisaged under the Scheme.	
15		आवश्यकता नहीं है।
	राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा	
	(प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए	
	गए है।	
	Whether any project profiles, etc.	
	has been prepared by the State	
	Government for the use	
	beneficiaries.	
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	सिंचाई पंप हेतु:-
	Additional details if any	(i) सिंचाई पंप तथा उसकी सहायक सामग्री आई.एस.आई. मार्का होनी
		चाहिये।
		(ii) विद्युत कनेक्शन संबंधी खर्च कृषक स्वयं वहन करेगा।
		(iii) पंप का प्रदाय छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम तथा राज्य स्तर
		पर विभाग द्वारा पंजीकृत प्रदायकों द्वारा किया जाता है।
		(iv) कृषक अपनी पसंद के आई.एस.आई. मार्क पंप निजी विक्रेताओ / सहकारी
	16	संस्था से क्रय करने स्वंतत्र है।
		कूप निर्माण हेतु:-
		(i) कूप का आकार तथा एक कूप से दूसरे कूप अथवा नलकूप की दूरी नाबार्ड द्वारा निर्धारित मापदण्ड से कम न हो।
		(ii) असफल कूप पर वास्तविक व्यय का 50% अथवा इकाई लागत जो भी
		कम हो वह संचालक कृषि की स्वीकृति उपरांत देय होगा।
		For Irrigation Pumps:-
		(i) The Pumps and its accessories should be ISI Marked.
		(ii) Farmer has to bear expenses of Elec. Connection.
	,	(iii) Pumps shall be supplied by C.G. Beej evam Krishi Vikas Nigam and by suppliers registered by the deptt. at state level.
		(iv) Farmers can also purchase ISI Mark pump from Private
		dealers/cooperative agencies.
		For Dug Wells:- (i) The size of the well, Distance between two dug wells or dug well &
		tube well should not be less than the norms of NABARD.
		(ii) In case of unsuccessful wells 50% of actual expenses on the unit
		cost, whichever is less, shall be granted after sanction from
		Director Agriculture.

8.	हितग्राहीयों के लिए पात्रता मानदण्ड, आदि कोई हो तो		हितग्राहियों के पास् ही पात्रता होगी।	न पावर टिल	र तथा वांछित व	कृषि यंत्र नहीं है,
	Eligibly criteria for the beneficiary if any.	Thos	e Beneficiaries walture implements			er and required
9.	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दो जाती है। Whether assistance is provided on an individual basis/ group basis/both individual and group basis.	पावर है। In ca	टिलर एवं अन्य कृषि ase of, Power T dy is given on ind	षे यंत्रों पर स Ciller and o	हायता व्यक्तिगत other agricultu	
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार	नवीन	कृषि यांत्रिकीकरण सर्बा	मेशन अंतर्गत वि	वेभिन्न यंत्रों पर अनु	दान देय का विवरण
	पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के					र्ग सबिमशन अंतर्गत वाला अनुदान
	हितग्राही के लिए अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए। दर (प्रतिशत्) न्यूनतम अधिकतम Details of subsidy provided. If the subsidy	क्र	यंत्र का नाम	शाक्ति का वितरण	अन्य वर्ग के हितग्राहियों हेतु	अजा/अजजा/ लघु एवं सीमान्त कृषक एवं महिलाओं हेतु
	is provided on the basis of the category of beneficiary please give category wise details Rate (%) Minimum, Maximum GOI Contribution State Government Contribution			8 बी.एच.पी से कम (Below 8 bhp)	कीमत का 40% (अधिकतम सीमा रू. 40000 / −) 40% of total cost & max ₹ 40000/-	कीमत का 50% (अधिकतम सीमा रू. 50000 / —) 50% of total cost & max. ₹ 50000/-
		1	पावर टिलर, Power Tiller	8 बी.एच.पी एवं अधिक (Above 8 bhp)	कीमत का 40% (अधिकतम सीमा रू. 60000 / -) 40% of total cost & max. ₹ 60000/-	कीमत का 50% (अधिकतम सीमा रू. 75000 / –) 50% of total cost & max. ₹ 75000/-
		2	स्वचलित पैडी ट्रांसप्लांटर Self Propelled Rice Transplanter	4 rows	कीमत का 40% (अधिकतम सीमा रू. 75,000 / –) 40% of total cost & max. ₹ 75000/-	कीमत का 50% (अधिकतम सीमा रू. 94,000 / —) 50% of total cost & max. ₹ 94000/-
		R	स्वचलित पैडी ट्रांसप्लांटर Self Propelled Rice Transplanter	Above 4 rows upto 16 rows	(अधिकतम सीमा रू	का 40% 5. 200000 / -) 40% max. ₹ 200000/-
		3	स्वचलित रीपर कम बाईडंर Self Reaper cum binder		कीमत का 40% (अधिकतम सीमा रू. 100000 / –) 40% of total cost & max.₹ 100000/-	कीमत का 50% (अधिकतम सीमा रू. 125000 / −) 50% of total cost & max .₹ 125000/-
		4	विशेष स्व चलित यंत्र जैसे : — रीपर, पोस्ट होल डिगर / न्यूमेटिक / अन्य प्लांटर Specialized Self Propelled Machinery :- Reaper post hol,		कीमत का 40% (अधिकतम सीमा रू. 50,000 / —) 40% of total cost & max. ₹ 50000/-	कीमत का 50% (अधिकतम सीमा रू. 63000 / —) 50% of total cost & max.₹ 63000/-

	Digger/Augur,Pn eumatic/ other planter			
S. S	ट्रैक्टर/पावर टिलर चितत यंत्र जैसे : मोल्ड बोर्ड /डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर,ब्लेड, केज व्हील, फरो ओपनर,	ट्रैक्टर (20 बी. एच.पी. से कम) Tractor (Below 20 bhp)	अधिकतम सीमा रू. 12,000/– Max. ₹ 12000/-	अधिकतम सीमा रू. 15,000 / — Max.₹ 15000/-
	रिजर, लेजर लैंड लेवलर, रिवर्सीबल मैकेनिकल प्लाऊ Tractor power tiller equipments :- MB Plow, Disc Plow, Cultivator, Herrow, leveler, Blade, cage wheel, Furrow opener, Laser Land Leveller, Reversible Mechanical Plough	ट्रैक्टर (20 से अधिक 35 बी. एच.पी. तक) Tractor (Above 20 to Below 35 bhp)	अधिकतम सीमा रू. 15,000/– Max.₹ 15000/-	अधिकतम सीमा रू. 19,000 / – Max.₹ 19000/-
5	द्रैक्टर चिलत यंत्र जैसे : मोल्ड बोर्ड / डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर,ब्लेड, केज व्हील, फरो ओपनर, रिजर,, रिवर्सीबल मैकेनिकल प्लाऊ Tractor equipments:- MB Plow, Disc Plow, Cultivator, Herrow, leveler, Blade, cage wheel, Furrow opener, Reversible Mechanical Plough	ट्रैक्टर (35 बी. एच.पी. से अधिक) Tractor (Above 35 bhp)	अधिकतम सीमा रू. 35,000/– Max.₹ 35000/-	अधिकतम सीमा रू. 44,000 / — Max.₹ 44000/-
	द्रैक्टर चिलत यंत्र जैसे : लेजर लैंड लेवलर, रोटावेटर रिवर्सीबल, हाईड्रोलिक प्लाऊ, बंड फार्मर (पी.टी.ओ आपरेटेड) पावर, हैरो (पी.टी.ओ आपरेटेड), बैकहो लोडर डोजर (ट्रेक्टर आपरेटेड) Tractor equipments :- Laser land levelller, Rotavator, Rotopuddler, Reversible Hyderaulic Plough, Bund Farmer (PTO operated) Power Harrow (PTO Operated), Backhoe Loader Dozer(Tractor, रोटो पडलर, Operated)	ट्रैक्टर (35 बी. एच.पी. से अधिक) Tractor (Above 35 bhp)	अधिकतम सीमा रू. 50,000/– Max.₹ 50000/-	अधिकतम सीमा रू. 63,000 / — Max.₹ 63000/-

	ट्रैक्टर / पावर टिलर चिलत यंत्र जैसे : रोटावेटर, रोटो पडलर, रिवर्सीबल हाईड्रोलिक	ट्रैक्टर (20 बी. एच.पी. से कम) Tractor (Below 20 bhp)	अधिकतम सीमा रू. 28,000/– Max.₹ 28000/-	अधिकतम सीमा रू. 35,000 / – Max.₹ 35000/-
6	লান্ড Tractor/ Power Operated :- Rotavator, Rotopuddler, Reversible Hyderaulic Plough.	ट्रैक्टर (20 से अधिक 35 बी. एच.पी. तक) Tractor (Above 20 to Below 35 bhp)	अधिकतम सीमा रू. 35,000 / – Max.₹ 35000/-	अधिकतम सीमा रू. 44,000 / – Max.₹ 44000/-
	ट्रैक्टर/पावर टिलर चिलत, बोआई, रोपाई, कटाई, एवं खुदाई के यंत्र जैसे :— ट्रैक्टर चिलत रीपर, जीरो	ट्रैक्टर (20 बी. एच.पी. से कम) Tractor (Below 20 bhp)	अधिकतम सीमा रू. 12,000 / – Max.₹ 12000/-	अधिकतम सीमा रू. 15,000 / — Max.₹ 15000/-
7	टिलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल Tractor/ Power Tiller Sowing, Plating, Reaping & Digging:- Tractor Drawn reaper, Zero till seed cum fertilizer drill,	ट्रैक्टर (20 से अधिक 35 बी. एच.पी. तक) Tractor (Above 20 to Below 35 bhp)	अधिकतम सीमा रू. 15,000/– Max.₹ 15000/-	अधिकतंम सीमा रू. 19,000 / – Max.₹ 19000/-
	द्रैक्टर चिलत, बोआई, रोपाई, कटाई, एवं खुदाई के यंत्र जैसे :— जीरो टिल सीड कम फर्टिलाईजर ड्रील, सीडड्रिल, पोटेटो डिगर, ट्रेक्टर चिलत रीपर, Tractor drive sowing, Planting, Reaping and Digging Equipments: Zero till seed cum fertilizer drill, Seed Drill, Tractor drawn reaper,	ट्रैक्टर (35 बी. एच.पी. से अधिक) Tractor (Above 35 bhp)	अधिकतम सीमा रू. 35,000 / – Max.₹ 35000/-	अधिकतम सीमा रू. 44,000 / — Max.₹ 44000/-
8	शक्ति चलित / ट्रेक्टर चालित कटाई एवं गहाई के यंत्र जैसे :— थ्रेशर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, पैडी थ्रेशर ब्रश कटर, Power drivne harvesting & threshing:- Thresher/Multi crop thresher, Paddy thresher, Brush Cutter	ट्रैक्टर (35 बी. एच.पी. से अधिक) Tractor (Above 35 bhp)	कीमत का 40 % अधिकतम सीमा रू. 50,000 /— 40% of total cost & max.₹ 50000/-	कीमत का 50 % अधिकतम सीमा रू. 63,000 / — 50% of total cost & max.₹ 63000/-
	पावर आपरेटेड चाफ कटर (Operted by engine/electric motor below 3 hp & tractor and power tiller below 20 bhp)		अधिकतम सीमा रू. 16,000 /- Max.₹ 16000/-	अधिकतम सीमा रू. 20,000 / – Max.₹ 20000/-
9	पावर आपरेटेड चाफ कटर (Operted by engine/electric motor above 3 to 5 hp and by power tiller & tractor below 35 bhp)		अधिकतम सीमा रू. 20,000 / – Max.₹ 20000/-	अधिकतम सीमा रू. 25,000 / – Max.₹ 25000/-

1	हस्त चलित / बैल		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	n 3
	चलित यंत्र जैसे :			
	मोल्ड बोर्ड, डिस्क			
7	प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो,			
	लेवलर,ब्लेड, फरो		valuation of	
	ओपनर, रिजर, पडलर		अधिकतम सीमा	अधिकतम सीम
10	Manual/animal		I to the second section of the second section of the second section se	11111
es all	drawn equipments :-		₹5. 8,000 / -	रू. 10,000 / −
re B	MB Plow, Disc Plow,		Max.₹ 8000/-	Max.₹ 10000/-
	Cultivator, Harrow,			
	Leveler Blade, Furrow			
	opener, Ridger,			
	Puddler			
	हस्त चलित / बैल			
V 1	चलित बोआई / रोपाई			
	के यंत्र जैसे :- पैडी	II .		
	प्लांटर, सीड कम			
	फर्टिलाइजर ड्रिल, धान			
vii -				
	रोपाई हेतु नर्सरी तैयार		अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
11	करने के यंत्र।		₹5. 8,000/-	
	Manual/animal		Max.₹ 8000/-	रू. 10,000 / −
	drawn sowing and		1V1ax.7 0000/-	Max.₹ 10000/-
	planting equipments			,
8 0 0	:- Paddy planter, seed			
7	cum fertilizer drill, Equipments for raising			
3	paddy nursery		AT TO A TO A	
	हस्त चलित / बैल			
^	चलित ड्रम सीडर		L. Y	
	210		अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
12	(Below 4 row)		ক. 1200 / -	
	Manual/animal			रू. 1500 ∕ —
- 1	drawn Drum Seeder		Max.₹ 1200/-	Max.₹ 1500/-
	(Below 4 row)			3
	हस्त चलित/बैल			
	चलित ड्रम सीडर		1	
13	(Above 4 row)		अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
13	Manual/animal		रू. 1500 ∕ -	र्फ. 1900 ∕ −
	drawn Drum Seeder		Max.₹ 1500/-	Max.₹ 1900/-
	(above 4 row)		There is a second of the secon	Wiax. 1900/-
	हस्त चलित/बैल			
-	चलित कटाई/गहाई			
W 1	के यंत्र जैसे : थ्रेसर,			
	विनोइग फेन, हस्त			
	चलित उद्यानिकी			
14	उपकरण।		अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
CALL TOTAL	Manual/animal		रू .8,000 ∕ −	रू. 10,000 / -
	drawn Harveting &		Max.₹ 8000/-	Max.₹ 10000/-
	threshing			111u. \ 10000/-
	equipments :-			3.00
*	Thresher, Winnowing			
*	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand			
	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools			
	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चलित/बैल			*
1	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर		अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
15	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर (3 फीट तक)		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	
15	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर (3 फीट तक) Manual/animal		₹ 4,000/-	रू. 5,000 / −
15	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर (3 फीट तक) Manual/animal drawn Chaff cutter		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	
15	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर (3 फीट तक) Manual/animal drawn Chaff cutter (upto 3)		₹ 4,000/-	रू. 5,000 / −
15	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर (3 फीट तक) Manual/animal drawn Chaff cutter (upto 3) हस्त चलित / बैल		₹ 4,000/-	रू. 5,000 / −
	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर (3 फीट तक) Manual/animal drawn Chaff cutter (upto 3) हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर		₹ 4,000/- Max.₹ 4000/-	रू. 5,00 / – Max.₹ 5000/-
15	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर (3 फीट तक) Manual/animal drawn Chaff cutter (upto 3) हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर (3 फीट से अधिक)		रू 4,000 /	रू. 5,00 / – Max.₹ 5000/- अधिकतम सीमा
	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर (3 फीट तक) Manual/animal drawn Chaff cutter (upto 3) हस्त चलित बैल चलित चाफ कटर (3 फीट से अधिक) Manual/animal		रू 4,000 /	रू. 5,00 / – Max.₹ 5000/- अधिकतम सीमा रू. 6,300 / –
	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चिलत / बैल चिलत चाफ कटर (3 फीट तक) Manual/animal drawn Chaff cutter (upto 3) हस्त चिलत चाफ कटर (3 फीट से अधिक) Manual/animal drawn Chaff cutter		रू 4,000 /	रू. 5,00 / – Max.₹ 5000/- अधिकतम सीमा
	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चिलत / बैल चिलत चाफ कटर (3 फीट तक) Manual/animal drawn Chaff cutter (upto 3) हस्त चिलत / बैल चिलत चाफ कटर (3 फीट से अधिक) Manual/animal drawn Chaff cutter (above 3)		रू 4,000 /	रू. 5,00 / – Max.₹ 5000/- अधिकतम सीमा रू. 6,300 / –
	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चिलत / बैल चिलत चाफ कटर (3 फीट तक) Manual/animal drawn Chaff cutter (upto 3) हस्त चिलत / बैल चिलत चाफ कटर (3 फीट से अधिक) Manual/animal drawn Chaff cutter (above 3) हस्त चिलत / बैल		रू 4,000 /	रू. 5,00 / – Max.₹ 5000/- अधिकतम सीमा रू. 6,300 / –
	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चिलत / बैल चिलत चाफ कटर (3 फीट तक) Manual/animal drawn Chaff cutter (upto 3) हस्त चिलत / बैल चिलत चाफ कटर (3 फीट से अधिक) Manual/animal drawn Chaff cutter (above 3) हस्त चिलत / बैल चिलत यंत्र जैसे:		रू 4,000 /	रू. 5,00 / – Max.₹ 5000/- अधिकतम सीमा रू. 6,300 / –
	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चिलत / बैल चिलत चाफ कटर (3 फीट तक) Manual/animal drawn Chaff cutter (upto 3) हस्त चिलत / बैल चिलत चाफ कटर (3 फीट से अधिक) Manual/animal drawn Chaff cutter (above 3) हस्त चिलत / बैल चिलत यंत्र जैसे: वीडर, कोनो वीडर,		रू 4,000 /	रू. 5,00 / — Max.₹ 5000/- अधिकतम सीमा रू. 6,300 / — Max.₹ 6300/-
16	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चिलत / बैल चिलत चाफ कटर (3 फीट तक) Manual/animal drawn Chaff cutter (upto 3) हस्त चिलत / बैल चिलत चाफ कटर (3 फीट से अधिक) Manual/animal drawn Chaff cutter (above 3) हस्त चिलत / बैल चिलत यंत्र जैसे: वीडर, कोनो वीडर, गार्डन टूल्स		रू 4,000 /	रू. 5,00 / — Max.₹ 5000/- अधिकतम सीमा रू. 6,300 / — Max.₹ 6300/-
	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर (3 फीट तक) Manual/animal drawn Chaff cutter (upto 3) हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर (3 फीट से अधिक) Manual/animal drawn Chaff cutter (above 3) हस्त चलित / बैल चलित यंत्र जैसे: वीडर, कोनो वीडर, गार्डन टूल्स Manual/animal		रू 4,000 /	रू. 5,00 / – Max.₹ 5000/- अधिकतम सीमा रू. 6,300 / – Max.₹ 6300/-
16	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चिलत / बैल चिलत चाफ कटर (3 फीट तक) Manual/animal drawn Chaff cutter (upto 3) हस्त चिलत चाफ कटर (3 फीट से अधिक) Manual/animal drawn Chaff cutter (above 3) हस्त चिलत यंत्र जैसे : वीडर, कोनो वीडर, गार्डन टूल्स Manual/animal drawn equipments:-		रू 4,000 /	रू. 5,00 / – Max.₹ 5000/- अधिकतम सीमा रू. 6,300 / – Max.₹ 6300/- अधिकतम सीमा रू. 600 / –
16	Thresher, Winnowing fan, Horticulture hand tools हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर (3 फीट तक) Manual/animal drawn Chaff cutter (upto 3) हस्त चलित / बैल चलित चाफ कटर (3 फीट से अधिक) Manual/animal drawn Chaff cutter (above 3) हस्त चलित / बैल चलित यंत्र जैसे: वीडर, कोनो वीडर, गार्डन टूल्स Manual/animal		रू 4,000 /	Max.₹ 5000/- अधिकतम सीमा रू. 6,300 / — Max.₹ 6300/- अधिकतम सीमा

	पौध संरक्षण यंत्र जैसे : मानव चलित		
	नेपसेक / पैरं चलित		
18	स्प्रेयर Plant Protection	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
	Equipments:- Manual	रू 500/- Max.₹ 500/-	रू. 600 / — Max.₹ 600/-
TE BY	sprayer, Knapsack/foot operated sprayer,		171dX.1 000/
	पौध संरक्षण यंत्र जैसे :		
	पावर आपरेटेड नेपसेक		
	स्प्रेयर/पावर आपरेटेड		
	ताईवान स्प्रेयर (क्षमता 8—12 लीटर)		
19	Plant Protection	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
10	Equipments:-	₹ 2500/-	र्फा. 3100 ∕ −
	Powered knapsack sprayer/ Power	Max.₹ 2500/-	Max.₹ 3100/-
	operated Taiwan		
,	sprayer (Capacity 8-12 lts)		
	पौध संरक्षण यंत्र जैसे :		
	पावर आपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर / पावर आपरेटेड	-	
	ताईवान स्प्रेयर (क्षमता		
	12—16 लीटर)	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीम
20	Plant Protection	₹ 3,000/-	रू. 3,800 / −
	Equipments:- Powered knapsack	Max.₹ 3000/-	Max.₹ 3800/-
	sprayer/ Power		
	operated Taiwan sprayer (Capacity 12-		
	16 lts)		A
į.	पौध संरक्षण यंत्र जैसे : पावर आपरेटेड नेपसेक		
	स्प्रेयर / पावर आपरेटेड		
	ताईवान स्प्रेयर		
	(क्षमता 16 लीटर से		
21	अधिक) Plant Protection	अधिकतम सीमा रू 8,000/-	अधिकतम सीमा
	Equipments:-	Max.₹ 8000/-	र्का. 10,000 / −
	Powered knapsack	171ax. C 00007	Max.₹ 10000/-
	sprayer/ Power operated Taiwan		
	sprayer (Capacity		
	above 16 lts) ट्रेक्टर		
	मॉऊन्टेड/आपरेटेड		
	स्प्रेयर	200	216
22	(Below 20 bhp)	अधिकतम सीमा रू 8,000 / —	अधिकतम सीमा
	Tractor mounted/Operated	Max.₹ 8000/-	रू. 10,000 / - Max.₹ 10000/-
	Sprayer (Below 20		wiax.\ 10000/-
	bhp) ਟੇ <i>ਕ</i> ਟਵ		
	्रक्टर मॉऊन्टेड/आपरेटेड	4	
	स्प्रेयर		0 0
23	(Below 35 bhp)	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमा
	Tractor mounted/Operated	रू 10,000/- Max.₹ 10000/-	र्फ. 13,000 / −
	Sprayer (Below 35	14147. \ 10000/-	Max.₹ 13000/-
	bhp)		
	्रद्रेक्टर	कीमत का 40 %	कीमत का 50
	मॉऊन्टेड/आपरेटेड स्प्रेयर	अधिकतम सीमा	%
_	(Above 35 bhp)	₹ 50,000/-	अधिकतम सीमा
24	(Above 35 bilp)	40% of total	रू 63,000 / −
			500/ oftatol
	mounted/Operated Sprayer (above 35	cost & max.₹ 50000/-	50% of total cost & max.₹

11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है। यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए। Whether any margin money is envisaged from the beneficiary other than subsidy being provided. If so, details there of may please be provided for different categories of the beneficiaries. किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है।	बैंक ऋण में 10 प्रतिशत मार्जिन मनी हितग्राही को जमा कराना होता है। The Beneficiary has to pay 10% margin money on Bank loan. कोई नहीं
	Type of economic activities envisaged under the Scheme.	Nothing.
13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें। Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so. please give details.	कोई नहीं Nothing.
14.	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है। Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	बैक ऋण का प्रावधान है। Provision of Bank Loan is there.
15.	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है। Whether any project profiles, etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	आवश्यकता नहीं है। Not Required.
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो। Additional details if any	. मशीनों एवं कृषि यंत्रों का क्रय/प्रदाय छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम एवं विभाग में राज्य/जिला स्तर पर पंजीकृत प्रदायकों के माध्यम से किया जाता है। Power Tiller and Agriculture implements are purchased through CG State Beej evam Krishi Vikas Nigam and suppliers registered at state/distt. level in the deptt. of Agri.

राज्य साख योजना 2015-16 STATE CREDIT PLAN 2015-16



शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण विभाग का नाम :- कृषि संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर।

1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों	कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना
	सहित। यदि कोई हो तो, (यदि लागू होता	"Krishi Yantra Seva kendra ki sthapana.
1,5	हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी	
7	योजनावार प्रेषित की जाए।)	
	Name of the Scheme with sub-	
	components (if any please give the	
	following details sub-component wise if	
	applicable.	
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ?	भातर सरकार / राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित।
	Whether it is a Government of	Central Govt/ State Govt. Sponsored.
	India/State Government sponsored	
	scheme?	
3.	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन	कृषि संचालनालय छ.ग. रायपुर।
	हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	Directorate of Agriculture CG Raipur.
	Nodal Department/Directorate at the	
	State level responsible for	
	implementing the Scheme.	
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु	कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी विभाग
	उत्तरदायी नोडल विभाग।	Agriculture Engineer, Department of Agriculture (Engineering)
	Nodal Office at the district level	
5.	responsible for implementing Scheme. योजना का उद्देश्य.	(1) राज्य में उन्नत कृषि मशीनों / यंत्रों से कृषि कार्य को प्रोत्साहन।
٥.	Objective of the Scheme.	(2) आर्थिक रूप से पिछड़े कृषक जो प्रत्येक कृषि कार्यमाला हेतु
	o of course of the semante.	पृथक मशीन / यंत्र क्रय करने में सक्षम नहीं है उन्हें किराये पर
		उन्नत कृषि मशीनें / यंत्र उपलब्ध कराना।
		(3) निजी क्षेत्र में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा।
		(4) राज्य में कृषि यांत्रिकीकरण के स्तर में वृद्धि के साथ श्रम एवं
		समय की बचत।
		(5) फसल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि से कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार।
		(1) To promote agriculture work with Agril. machine/implements.
		(2) Those farmers who can not afford to buy different agril.
r		machine/implements can be provided on hire basis.
		(3) To promote private sector on agril. entrepreneeship
		(4) To improve farm mechanization in state and to save time and labour.
		(5) To increase crop production and improve economic status
	E. A. A. C.	of farmers.

6.	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित	राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित.
	की जा रही है। यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना	All Districts of the State.
	क्रियान्वित की जा रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास	
	खण्डों के नाम दर्शाये जाए।	
	Whether the Scheme is being implemented in all	
	the districts of the State ? If not, kindly indicate	
	the regions/districts/blocks where the Scheme is	
	under implementation.	
7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत	सभी वर्गों के हितग्राहियों के लिये
	सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमांत	All type of categories
	कृषक / अन्य कृषक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित	
	जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग / पुरूष महिला आदि)	
٠	Type of beneficiaries covered under the Scheme.	
	(SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men/ Women, etc.)	
8.	हितग्राहीयों के लिए पात्रता मानदण्ड, आदि कोई हो	निजी क्षेत्र के इच्छुक कृषि उद्यमियों / स्व सहायता समूहों
	तो	(कम से कम पांच सदस्यीय)/अशासकीय संस्थाओं आदि
	Eligibly criteria for the beneficiary if any.	Intrested private sector agril. entrepreneurs/self help
		group (at least five members)/NGo.
9.	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह स्तर	व्यक्तिगत रूप या समूह के रूप में दी जाती है।
٥.	पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों	Assistance is provided on individual basis or in group.
	व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	,
	Whether assistance is provided on an individual	
	basis/ group basis/both individual and group	
	basis.	
10.	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि	प्रत्येक ''कृषि यंत्र सेवा केन्द्र'' हेतु ₹ 10.00 लाख और
	अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित	₹ 7.50 लाख अनुदान क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड सबसिडी के
	है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए	रूप में
	अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए।	Rs. 10.00 Or 7.50 lakh for each "Krishi Yantra Seva
	दर (प्रतिशत्) न्यूनतम अधिकतम	Kendra" as credit linked back ended subsidy.
	Details of subsidy provided. If the subsidy is	
	provided on the basis of the category of	
=	beneficiary please give category wise details	
	Rate (%)	
	Minimum, Maximum	
	GOI Contribution	
	State Government Contribution	* A AA army
11.	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन	
	मनी देय का प्रावधान है।	As per bank policy.
	यदि हॉ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह	
d.	जानकारी प्रस्तुत की जाए।	
	Whether any margin money is envisaged from	
	the beneficiary other than subsidy being	
	provided. If so, details there of may please be	
	provided for different categories of the beneficiaries.	
	beneficiaries.	

12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत	कोई नहीं
	अपेक्षित है।	Nothing.
	Type of economic activities envisaged under the	
	Scheme.	
13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लाइत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हॉ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें। Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so. please give details.	न्यूनतम ₹ 25.00 या 15.00 लाख की कीमत के ट्रैक्टर सिहत जमीन की तैयारी, बोनी, फसल कटाई एवं थ्रेशिंग के कृषि मशीनों / यंत्रों के क्रय किये जाने पर ₹ 10.00 या 7.50 लाख की राशि क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड सबसिडी के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। Rs. 10.00 Or 7.50 lakh is provided as credit linked
		back ended subsidy on purchase of tractors along with land preparation, sowing, planting, harvesting & threshing machine of least Rs 25.00 Or 15.00 lakh.
14.	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	जी हॉ
	Whether any bank loan is envisaged under the	Yes
	Scheme.	
15.	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन	जी हॉ,
	द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार	Yes,
	कर लिए गए है।	
	Whether any project profiles, etc. has been	
	prepared by the State Government for the use	
	beneficiaries.	
16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	-
	Additional details if any	

राज्य साख योजना 2015-16 STATE CREDIT PLAN 2015-16

(4)

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम :- कृषि संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर।

04-00-0010-00-0		
1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सिहत। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी योजनावार प्रेषित की जाए।) Name of the Scheme with subcomponents (if any please give the following details sub-component wise if applicable.	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) योजनान्तर्गत ''फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना'' Under sub mission on Agricultural mechanization (SMAM) "Establishment of farm machinery Banks for custom hiring"
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ? Whether it is a Government of India/State Government sponsored scheme?	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना Central Sponsored Scheme.
3.	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	कृषि संचालनालय छ.ग. रायपुर। Directorate of Agriculture CG Raipur.
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Office at the district level responsible for implementing Scheme.	कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी विभाग Agriculture, Engineering, Department of Agriculture (Engineering)
5.	योजना का उद्देश्य. Objective of the Scheme.	 राज्य के चयनित जिलों के मशीनों / यंत्रों से कृषि कार्य को प्रोत्साहन देना। कृषि यंत्र सेवा केन्द्र के माध्यम से अलग—अलग कृषि कार्य हेतु मशीनों / यंत्रों उपलब्ध कराना। लघु सीमांत कृषकों के बीच कृषि कार्यों में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देना। स्थापित किये गये केन्द्रों के मशीनों / यंत्रों के रखरखाव हेतु निर्माता एवं KVS के माध्यम से सामंजस्य बनाये रखना मशीनों / यंत्रों को कृषि कार्य में बढ़ावा देना। To. Promote mechanization in selelted district. To Provide hiring services centers for various agricultural machinery/implements applied for different operations. To expand mechanized activities activates among small and marginal holdings. Estblishment custom hiring centers to be involve manufactures /KVKs in operation and maintain of machines. To developed agricultural implements and machines in crop production

6.		राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित हो रही है।
	क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो	All districts of State.
	कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा	
	रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के	
	नाम दर्शाये जाए।	
	Whether the Scheme is being	
	implemented in all the districts of the	
	State ? If not, kindly indicate the	
	regions/districts/blocks where the	
	Scheme is under implementation	
7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत	योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के हितग्राही सम्मिलित है।
	सम्मिलित किये गये है। (लघु कृषक / सीमांत	All types of Beneficiaries are covered under the scheme.
	कृषक/अन्य कृषक/ अनुसूचित जाति/	7 in types of Beneficialies are covered under the seneme.
	अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े	
	वर्ग / पुरूष महिला आदि)	
	Type of beneficiaries covered under the	
	Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/	
	Others/Men/ Women, etc.)	
3.	हितग्राहीयों के लिए पात्रता मानदण्ड, आदि	निजी क्षेत्र के इच्छुक कृषि उद्यमियों / स्व सहायता समूहों आदि।
٦.	कोई हो तो	Interested private Sector agricultural. enterprenours/self help group
	Eligibly criteria for the beneficiary if	etc.
	any.	oto.
	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह स्तर	व्यक्तिगत रूप या समूह के रूप में दी जाती है।
٠.	पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर	Assistonce is provided on individual basis or group
	पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी	
	जाती है।	
	Whether assistance is provided on an	
	individual basis/ group basis/both	
	individual and group basis.	
0	प्रदान किये जा रहे अनदान विषयक विवरण	प्रत्येक ''फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना'' हेतु ₹ 4.00 लाख अनुदान
	(यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के	Estiblishment Scheme ₹ 4.00 lakh for each "Farm machinery Bank"
	प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक	Estiblishment Scheme (4.00 lakii loi each Tarin machinery Bank
	प्रकार के हितग्राही के लिए अलग–अलग	
	जानकारी प्रस्तुत की जाए।	
	जानकारा प्रस्तुत का जाए। दर (प्रतिशत्) न्यूनतम अधिकतम	
	Details of subsidy provided. If the	
	subsidy is provided on the basis of the	
	category wise details Rate (%)	
	category wise details Rate (%)	
	Minimum, Maximum GOI Contribution	
	State Government Contribution	
	State Government Continuous	

11	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा	
	कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है।	
	यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के	
	लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।	बैंक की निती अनुसार
	Whether any margin money is	As per Bank policy
1 21 7	envisaged from the beneficiary other	The period of th
* -	than subsidy being provided. If so,	
	details there of may please be provided	
	for different categories of the	
	beneficiaries.	
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां	न्यूनतम ₹ 10.00 लाख की कीमत के ट्रैक्टर सहित जमीन की तैयारी, बोनी,
	योजनांतर्गत अपेक्षित है।	फसल कटाई एवं थ्रेसिंग के क्रय किये जाने पर ₹ 4.00 लाख की राशि
	Type of economic activities envisaged	क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड सबसिडी के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।
	under the Scheme.	Rs.4.00 lakh is promided as credit limited bank ended subsidy on
		purchase of Tractor alng with loan preparation machine of least
		Rs.10.00 lakh.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल	
.	लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है।	
	यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत	->
ti .	करें।	कोई नहीं
	Whether any ceiling has been fixed on	Nothing.
	the financial outlay for a single	
	borrower/ group if so. please give	
	details.	
14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान	<u> </u>
	है।	जी हाँ।
	Whether any bank loan is envisaged	Yes
	under the Scheme.	
15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य	
	शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट	
	प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है।	
	Whether any project profiles, etc. has	
	been prepared by the State Government	
-	for the use beneficiaries.	
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	·
	Additional details if any	



राज्य साख योजना 2015-16 STATE CREDIT PLAN 2015-16

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम :- कृषि संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर।

1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों	कृषि श्रमिको के दक्षता उन्नयन
	सहित। यदि कोई हो तो, (यदि लागू	Skill Development of labour
	होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी	
	योजनावार प्रेषित की जाए।)	
	Name of the Scheme with sub-	
	components (if any please give the	
	following details sub-component	
	wise if applicable.	
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य	राज्य पोषित योजना।
	शासन द्वारा प्रवर्तित है ?	State Govt. Sponsored Scheme.
	Whether it is a Government of	
	India/State Government sponsored	
	scheme?	
3.	राज्य शासन के स्तर पर योजना	कृषि संचालनालय छ.ग. रायपुर।
	क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	Directorate of Agriculture CG Raipur.
	Nodal Department/Directorate at the	
	State level responsible for	
	implementing the Scheme.	
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु	उप संचालक कृषि, कृषि विभाग
	उत्तरदायी नोडल विभाग।	Dy.Director Agriculture, Department of Agriculture
	Nodal Office at the district level	
	responsible for implementing	
	Scheme.	
5.	योजना का उद्देश्य.	कृषि मजदूरों के समूह की क्षमता बढ़ाने एवं कृषि कार्य के सरल एवं श्रम
	Objective of the Scheme.	साध्य बनाने हेतु कृषि औजारा, यंत्र एवं उपकरण के किट का निःशुल्क
		वितरण कराना।
		Promotion of group of skill labour and to easir the agril.work. for
		agril machines, implements and equipments kits are distributed
		free of cost.
6.	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में	यह योजना सभी जिलों में क्रियान्वित हो रही है।
	क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो	This Scheme is being implemented in all districts of State.
	कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा	
	रही उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के	
	नाम दर्शाये जाए।	
	Whether the Scheme is being	
	implemented in all the districts of the	
	State ? If not, kindly indicate the	
	regions/districts/blocks where the	
	Scheme is under implementation.	

7.	किस प्रकार के हितग्राही योजना के	योजनांतर्गत कृषि मजदूर समूह के लिये लागू होगी, समूह का आकार
	अन्तर्गत सिमालित किये गये है (लघु	न्यूनतम 10 कृषि मजदूर का होगा।
	कृषक / सीमांत कृषक / अन्य कृषक /	Minimum 10 groups of labour.
	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /	
	अन्य पिछड़े वर्ग / पुरूष महिला आदि)	
	Type of beneficiaries covered under	
	the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/	
	Others/Men/ Women, etc.)	
8.	हितग्राहीयों के लिए पात्रता मानदण्ड,	
0.	आदि कोई हो तो	
	Eligibly criteria for the beneficiary if	- (2)
- "	any.	
	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर समूह	
9.	स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर	
		Transport the state of the stat
	पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	सहायता समूह स्तर के रूप में की जाती है।
	,	Assistance provided on group basis.
	Whether assistance is provided on an	
	individual basis/ group basis/both	
	individual and group basis.	
10.	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक	सभी प्रकार के हितग्राहियों को ₹ 42000 / — अनुदान देग है।
	विवरण (यदि अनुदान की राशि,	Subsidy is given all type of categories are benefited and provided
	हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो	Rs. 42000/-
	कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए	
	अलग–अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए।	
	दर (प्रतिशत्) न्यूनतम अधिकतम	
	Details of subsidy provided. If the	
	subsidy is provided on the basis of	
	the category of beneficiary please	
	give category wise details Rate (%)	
	Minimum, Maximum	
	GOI Contribution	
	State Government Contribution	
11.	क्या अनुदान के अतिरिक्त हितग्राही द्वारा	कोई नहीं
	कोई मार्जिन मनी देय का प्रावधान है।	Nothing
	यदि हाँ तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों	
	के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।	
	Whether any margin money is	*
	envisaged from the beneficiary other	
	than subsidy being provided. If so,	
	details there of may please be	
	provided for different categories of	
1	1 1 0	
-	the beneficiaries.	
12.	the beneficiaries. किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां	कोई नहीं
12.		कोई नहीं Nothing.
12.	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां	

1	13.	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए	
		कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की	Nothing.
		गयी है। यदि हाँ तो कृपया इसका	
		विवरण प्रस्तुत करें।	
		Whether any ceiling has been fixed	
	-	on the financial outlay for a single	
		borrower/ group if so. please give	
		details.	
-	14.	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का	कोई नहीं
		प्रावधान है।	Nothing.
		Whether any bank loan is envisaged	
		under the Scheme.	
1	15.	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए	कोई नहीं
		राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा	Nothing.
1		(प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए	
		है।	*
		Whether any project profiles, etc. has	
		been prepared by the State	
		Government for the use beneficiaries.	
1	16.	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	_
		Additional details if any	

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण विभाग का नाम :--महिला एवं बाल विकास विभाग

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप–योजनावार प्रेषित की जाए)	योजना :— संचालन छ.ग. महिला कोष के माध्यम से किया जा रहा है।
		2. सक्षम योजना :— विधवा, तालाक शुदा तथा 35 से 45 आयु वर्ग के अविवाहित महिलाएं।
	Name of the Scheme with sub- components, if any please give the following details sub-component wise if applicable.	 Loan scheme for Women SHG, which is conducted through CG Mahila Kosh. Loan scheme for Widow, Divorcee, Unmarried Women-aged between 35 to 45
		years which is conducted through CG Mahila Kosh.
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष को उपलब्ध कराई गई राषि से।
	Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme?	Through the fund made available to the C.G. Mahila Kosh by State Government.
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	महिला एवं बाल विकास विभाग (छ.ग. महिला कोष द्धारा संचालन)
	Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	Women & Child Development Department (Conducted through CG Mahila Kosh)
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	जिला अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग पदेन जिला प्रबंधक, छ.ग. महिला कोष।
	Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	District Officer, Women & Child Development Department. ex- officio District Manager, CG Mahila Kosh.
5	योजना का उद्देश्य।	 महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण योजना अंतर्गत :- महिला स्व सहायता समूहों का सुदृढ़ीकरण एवं वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना। सक्षम योजना अंतर्गत- ऐसी महिलाएं जो जीवन यापन में कठिनाईयां अनुभव कर रही है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर सम्मानजनक, स्वालंबी व
	Objective of the Scheme.	समृद्ध जीवन के अवसर उपलब्ध कराएं। 1) Under the loan scheme for Women SHG:- Emplowerment of Women SHGs & provide

6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही	financial support for making women economically empowered. 2) Sakshama Yojna :- To provide the independent and prosperous life and living opportunity to the women who are living in disastrous condition. समस्त 27 जिलें।
	है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडो के नाम दर्शाये जाए।	
	Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State? If not, indicate the regions/ districts/ blocks where the Scheme is under implementation.	All 27 Districts.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरूष /महिला आदि	 महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु ऋण योजना अन्तर्गत महिला स्व—सहायता समूह। सक्षम योजना— ऐसी महिलाएं जिनके पित की मृत्यु हो चुकी है अथवा जो तालाकषुदा है अथवा जो 35 से 45 आयु वर्ग के अविवाहित महिला है।
	Type of Beneficiaries covered under the Scheme.(SF/MF/OF/SC/ST/ Others/Men /Women, etc.).	 Women SHGs under the loan scheme for SHGs. Sakshama Yojna- Widow, Divorcee, Unmarried Women-aged between 35 to 45 years.
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	 A. महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण योजना :- 1. योजना अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी महिला स्वयं सहायता समूह सहायता ऋण के लिए पात्र होंगे। 2. ऋण प्राप्ति के लिए केवल "A" समूह के आवेदन ही विचार योग्य होंगे। 3. स्वयं सहायता समूह गठन के एक वर्ष बाद ही ऋण आवेदन के लिये पात्र होंगे। 4. स्वयं सहायता समूह पूर्व में प्राप्त ऋण की पूर्ण अदायगी के एक माह पश्चात पुनः कोष से ऋण आवेदन हेतु पात्र होंगे। इसके लिए उनको पूर्व में दी गयी ऋण राशि की सभी किश्तों की वापसी निर्धारित समय अवधि में किया जाना आवश्यक होगा। 5- ऋण स्वीकृति के समय महिला स्वयं सहायता समूहों की सामाजिक गतिविधियों मे सक्रियता एवं सामाजिक क्रियाकलापों मे भागीदारी का भी

- ध्यान रखा जायेगा। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण एवं अन्य सामाजिक मुद्दे।
- 6. स्वैच्छिक संगठन फर्मस एवं सोसायटीज रिजस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होने चाहिए तथा पंजीकृत हुए तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हों।
- 7. स्वैच्छिक संगठन महिला एवं बाल विकास विभाग से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
- 8. स्वैच्छिक संगठन महिला स्वयं सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण के कार्य में संलग्न हो तथा इस क्षेत्र में कार्य का पर्याप्त अनुभव रखते हो इस हेतु कम से कम 25 नवीन स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं सशक्तिकरण का अनुभव होना आवश्यक होगा। पुराने कम से कम 25 स्वयं—सहायता समूहों को नये सिरे से संगठित करने व एक वर्ष तक संचालन करने में सहायता उपलब्ध कराने वाले स्वैच्छिक संगठन भी पात्र होंगे।
- स्वैच्छिक संगठन के द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह योजना अंतर्गत निर्धारित मापदंड को पूर्ण करते हों ।
- 10. स्वैच्छिक संगठन ऋण योजना में प्रावधानित नियमों, शर्तों एवं प्रक्रियाओं को पालन करने के लिये सहमत हो तथा उक्त आशय का अनुबंध करने को तैयार हो ।
- 11. स्वैच्छिक संगठन एक समय में 5 स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि इनमें से किसी समूह द्वारा ऋण अदायगी पूर्ण कर ली जाती है तो वे पुनः 5 समूहों की निर्धारित सीमा के अंदर आवेदन कर सकेंगे। यदि कोई स्वैच्छिक संगठन 5 से अधिक स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो, पात्रता संबंधी सभी शर्तें पूर्ण होने की स्थिति में जिला ऋण समिति अनुशंसा सहित ऐसे आवेदन पत्र स्वीकृति संबंधी कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ महिला कोष के शासी बोर्ड को प्रेषित करेगी जो इन पर निर्णय लेने में सक्षम होगा।
- ब. सक्षम योजना –
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसी महिलाएं, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है

- अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की ऐसी महिलाएं जो अविवाहित है अथवा कानूनी तौर पर तालाकशुदा महिलाएं।
- 2. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार न होने पर निम्न मध्यमवर्गीय आय की ऐसी हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया जा सकेगा, जिसके परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रुपये प्रतिवर्ष से कम हो।
- 3. पति की मृत्य होने अथवा कानूनी रूप से तालाक शुदा होने की दशा में हितग्राहियों की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होना चाहिए।
- 4. हितग्राही छ.ग. राज्य के मूल निवासी होना चाहिए।
- 5. ऐसी महिलाएं जिनके पति के मृत्य उपरान्त पुर्नविवाह किया हो उसे इस योजना के अन्तर्गत पात्रता नहीं होगी।
- 6. योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के हितग्राहियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी। प्रथम प्राथमिकता के लिए अधिक हितग्राही होने पर उनमें से न्यूनतम आयु सीमा के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

Eligibility criteria for the beneficiary, if any.

- A)-Loan Scheme for Women SHGs:-
- 1. Under this scheme rural and urban women SHG are eligible for loan.
- 2. For taking loan application of only "A" grade group will be considered.
- 3. Self help groups will be eligible for Loan application only after one year of formation.
- 4. Self Help Group after payment of previous loan will again be elligible to apply for loan from kosh. For this it is necessary that they should have paid all the installments of loan taken earlier within the prescribed time.
- At the time of sanction of loan participation in social activities of self help group will be keep in mind. For eg. Education, Health, Nutrition, Environment and other social issues.
- 6. NGO should be registered under firms and socities registration Act and registration should have completed 3 years.
- 7. NGO should be recognized by Women and Child Development Department.
- 8. NGO's should be attached with formation of Women SHG and empowerement and

should have sufficient experience in this field. For this they should have experience of formation of at least 25 new SHG and their empowerement. Those NGOs who are working for re-organization of 25 old SHGs and have helped to run for at least one year will also be eligible. 9. Self Help group, which was consitutued by NGO, should fulfill the prescribed norms. 10.NGO should agree to follow the prescribed rules, conditions and procedure of loan scheme and should agree to agreement for the above said procedure. 11.NGO can apply for loan application for 5 SHG at a time. If any of the Group pays the loan amount then they can again apply for 5 SHG in prescribed limit. If any NGO applies for more than 5 SHG loan then in the condition of fulfilling all the eligibilty criteria District Loan Committee will forward application with their the loan recommendation to Executive Board of Chhattisgarh Mahila Kosh who will take decision in this matter. B.Sakshama Yojna:-1. The women living below poverty line who has lost their Husband, Unmarried Women who are aged between 35 for 45 years or legally divorcee. 2. If the above beneficiary does belong to BPL family then the monthly Income of the family shall be below then 48000 per year. 3. The women who has lost their husband or who are legally divorcee shall be aged between 18 to 50 years. 4. The bens must be the original resident of Chhattisgarh state. 5. The women who has lost their husband and they have remarried again with someone shell not be covered under the scheme. 6. Bens belong to SC/ST category shall be given the topmost priority. The first priority will be given on the minimum age basis. 1. महिला स्वयं–सहायता समूहों के लिए ऋण क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर योजनांतर्गतः- समृह स्तर पर। पर / दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर / दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी 2. सक्षम योजना योजनांतर्गत:- व्यक्तिगत स्तर पर। जाती है। Whether assistance is provided on an 1. Under the loan scheme- Group level. 2. Sakshma Yojna- Individual level. individual basis/group basis or both.

10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये। दर (%) न्यूनतम अधिकतम	 महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण योजनांतर्गत:— अनुदान नही ऋण प्रदान किया जाता है। 6.5 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर समूह को एवं 5.5 प्रतिशत ब्याज दर पर एन.जी. ओ. को ऋण प्रदान किया जाता है। प्रथम बार में 25000/— रूपये तथा इसके निश्चित समयावधि में भुगतान करने पर समूह को दूसरी बार में 50000/— रूपये तक ऋण प्रदान किया जा सकेगा। सक्षम योजना अन्तर्गत— कोई अनुदान नहीं दिया जाता है, अपितु स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु रूपये 1 लाख तक ऋण प्रदान किया जाता है।
	Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category- wise details Rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution	 Under the loan scheme no Subsidy but only loan is provided. The rate of interest is 6.5% to SHG group & 5.5% to NGO. First time loan is provided for up to Rs 25000/- & if the loan is repaid in the prescribed time limit a loan of Rs. 50000/- can be provided to Groups for second time. Under the Sakshama Yojna- No Subsidy but only loan is provided to the individual. The rate of interest is 6.5%. The loan amount is up to 1 lakhs per bens. The loan is provided in the multiplication of Rs 20000 as per demand. The repayment period is 5 years.
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।	नही
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	No margin money is required.
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है।	 महिला स्व-सहायता समूहों हेतु ऋण योजनान्तर्गत- लघु व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, लघु एवं कुटीर उद्योग आदि कोई भी आर्थिक गतिविधि जो समूह चाहता है। सक्षम योजना अन्तर्गत- स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु कोई भी गतिविधि।
	Type of economic activities envisaged under the Scheme.	Under the loan scheme for women self helf groups:- Small Business, Agriculture, Animal Husbandary, Fisheries, Small Scale Industries etc. any economic activity which SHG chooses.

		2) Sakshama Yojna:- Any activity to start their
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हॉं तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	own business. 1. महिला स्व—सहायता समूह हेतु ऋण योजना अन्तर्गत— 3. 25 हजार तक ऋण प्रथम बार, ब. 50 हजार तक ऋण द्वितीय बार। 2. सक्षम योजना अन्तर्गत— कोष से प्रदाय किये जाने वाले ऋण की सीमा 1 लाख रूपये लगायी गई है। आवेदक अपनी राशि अतिरिक्त रूप से लगा सकते हैं।
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so. please give details.	1. Under the loan scheme for women self help groups:- (a) 25000/- Loan first time. (b) 50000/- Loan Second time 2. Sakshama Yojna:- The maximum limit of the loan provided under this scheme through kosh is Rs 1 lakhs per benificiary. The benificiary may add own capital up to any extent.
14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान	नही
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	No
15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है।	योजना तैयार कर लागू की गई।
	Whether any project profiles, etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	Scheme has been formulated.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	निरंक
	Additional details if any	Nil.

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग का नाम :– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (01.04.2013 से प्रभावशील)

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (01.04.2013 से प्रभावशील)
	जानकारी उप–योजनावार प्रेषित की जाए)	
	Name of the Scheme with sub-components, if any (please give the following sub-component-wise, if applicable)	National rural Livelihood mission (w.e.f. 01.04.2013)
2	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है ?	भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है
	Whether it is a Government of India/State Government sponsored Scheme ?	Government of India Sponsored Scheme.
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना कियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
	Nodal Department at the State Government level responsible for implementing the Scheme	Panchayat & Rural Development Department
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग	समस्त जिला पंचायतें
	Nodal Department at the District level responsible for implementing the Scheme	All Zila Panchayat
5	योजना का उद्देश्य	ग्रामीण गरीब परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध
	Objective of the Scheme	कराकर उन्हें गरीबी से ऊपर उठाना ।
		To provide economic assistance to rural poor families to uplift from poverty.
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में कियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो कृपया यहां पर योजना	जी हाँ । राज्य की सभी 27 जिला पंचायतों के 146 विकासखंड में कियान्वित की जा रही है ।
	कियांन्वित की जा रही है, उन क्षेत्रों/जिलों/विकास खण्डों के नाम दर्शाये जाए।	Yes, Implementing in 27 District Panchayat and all 146 Blocks of the State.
	Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? if not, kindly indicate the regions /districts/ blocks where the Scheme is under implementation.	
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमांन्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति /अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/पुरूष/महिला आदि)	इसमे पी.आई.पी. के अनुसार चयनित परिवारों को लाभान्वित किया जाता है ।
	Type of Beneficiaries covered under the Scheme.	As per PIP list identified families are benefited.

	(SF/MF/OF/ SC/ST/Other/Men/Women, etc.)	
8	हितग्राहियों के लिए पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो Eligibility Criteria for the beneficiary, if any	इसकी विस्तृत दिशा निर्देश भारत शासन से आने वाली हैं।
		Detailed guide lines in this requrd is awaited.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है ।	केवल समूह स्तर पर
	Whether assistance is provided on an individual basis /group basis/both, individual and group basis.	Assistance would be provided to only on group basis.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिए अलग—अलग जानकारी प्रस्तुत की जाए) दर (प्रतिशत) न्यूनतम, अधिकतम Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rate(%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution	ब्याज अनुदान, ऋणों का तुरंत भुगतान करने पर प्रदान किया जावेगा। यह बैंक ऋण पी.एल.आर. तथा ७ प्रतिशत बेंचमार्क के अंतर का, अनुदान रहेंगा। Interest subsidy would be provided on the basis of the prompt repayment. There will be benchmark of 7% The difference between the PLR of Bank and 7%, would be interest subsidy.
	भारत सरकार का अंशदान Government of India Share.	75 प्रतिशत 75 %
	राज्य सरकार का अशदान State Government Share.	25 प्रतिशत 25%
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिए यह जानकारी प्रस्तुत की जाए । Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided If so, details there of may please be provided for different categories of beneficiaries.	निरंक Nil
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनानतर्गत अपेक्षित है । Type of economic activities envisaged under the Scheme.	प्राइमरी सेक्टर सेकेण्डरी सेक्टर एवं टर्सरी सेक्टर की उस विकास खण्ड हेतु चयनित कोई भी गतिविधि हेतु स्व— सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है । Any economic activities identified by the SHG under primary, secondary and tertiary sector can be provided.

13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें । Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower /group. If so, please give details.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। परियोजना की कुल लागत विनियोजन की आवश्यकतानुसार निर्धारित होती है। No ceiling has been fixed on financial outlay in National rural livelihood mission. Total cost of
14	क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है ।	the project depends upon investment on project. ਯੀ ਵੱi
	Whether any bank Loan is envisaged under the Scheme.	Yes.
15	क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है ।	जी हॉ इसके अंतर्गत समूह द्वारा स्वयं अपना माईको केंडिट प्लान बनाया जावेंगा।
	Whether any project profiles, etc. has been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	Yes under this scheme the group will himself prepare micro credit plan.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।	निरंक
	Additional details, if any.	Nil

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण विभाग का नाम:— ग्रामोद्योग संचालनालय (रेषम प्रभाग) रायपुर

1	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप—योजनावार प्रेषित की जाए)	ग्रामीण रोजगार हितग्राही मूलक / परिवार मूलक कार्यक्रम— योजनांतर्गत निम्नानुसार उप योजना संचालित है— 1) टसर रेषम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम— अ) टसर धागाकरण योजना
	Name of the Scheme with sub- components, if any please give the following details sub-component wise if applicable.	Rural Employment beneficiary scheme/ Family oriented Programme. The following sub component schemes are going on- 1. Tasar silk development & Extension Programme (a) Tasar reeling scheme.
2	क्या यह योजना भारत सरकार / राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है।	राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना है।
	Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme?	Both Govt of India & State sponsored scheme.
3	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	ग्रामोद्योग विभाग के अधीनस्थ ग्रामोद्योग संचालनालय रेषम प्रभाग।
	Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme.	Directorate of Rural Industries (Sericulture Division).
4	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग।	ग्रामोद्योग संचालनालय, रेषम प्रभाग के अधीनस्थ जिला रेषम अधिकारी।
	Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme.	District Sericulture Officer.
5	योजना का उद्देश्य।	संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देष्य ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे गरीब परिवारों को तथा अन्य पिछड़े वर्ग को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना। रेषम योजना से ग्रामीण क्षेत्र में विकसित कर नवीन रोजगार का सृजन करते हुए कच्चे रेषम की मांग की आपूर्ति हेतु सिल्क उत्पादन को बढ़ावा देना।
	Objective of the Scheme.	The main objectives are: - To provide gainful self-employment at local level to poor people and backward classes living in the rural areas. To meet the increasing demand of raw silk in the state. To generate self-employment under sericulture scheme the rural areas.
6	क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में	टसर रेषम विकास एवं विस्तार की योजना राज्य के

	कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों / जिलों / विकासखंडो के नाम दर्शाये जाए।	
	Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State? If not, indicate the regions/ districts/ blocks where the Scheme is under implementation.	Tasar silk development & extension scheme is being implemented in all districts of the state.
7	किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरूष /महिला आदि	योजनांतर्गत सीमांत / भूमिहीन कृषक वर्ग के विषेष रूप अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं मुख्य रूप से महिला वर्ग के हितग्राहियों को लाभांवित किया जाता है।
	Type of Beneficiaries covered under the Scheme.(SF/MF/OF/SC/ST/ Others /Men /Women, etc.).	Marginal/Landless especially SC/ST & OBC mainly woman beneficiaries are being benefitted by these scheme.
8	हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो	संचालित योजना हेतु मापदण्ड निम्नानुसार है— अ) टसर धागाकरण — अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सामान्य / पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों हेतु।
	Eligibility criteria for the beneficiary, if any.	Parameters for the Beneficiaries- (a) Tasar reeling:- For SC/ST/OBC beneficiaries.
9	क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनो व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।	योजनांतर्गत सहायता व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जावेगी।
	Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.	Both individual & Group Basis.
10	प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण	वर्तमान में ग्रामोद्योग संचालनालय रेषम प्रभाग द्वारा संचालित योजनाओं में किसी भी प्रकार का अनुदान का प्रावधान नहीं है।
	subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category- wise details Rate (%) Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution	subsidy in the sericulture sector of Rural Industries.
11	क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा	ग्रामोद्योग संचालनालय रेषम प्रभाग द्वारा वर्तमान

	कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।	संचालित योजनाओं में किसी प्रकार का अनुदान का प्रावधान नहीं होने से हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन देने का प्रावधान नहीं है। 1 टसर धागाकरण— टसर धागाकरण रीलिंग एवं स्पीनिंग हेतु ईकाई लागत रू. 35450/— प्रति इकाई प्रस्तावित है। बैंक ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा निवेश किया जावेगा।
	Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.	There is no provision of margin money in this scheme but it is proposed to give margin money under sub plan of State Credit Plan as under: - (1) Tasar Reeling: - Total unit cost of Reeling & Spinning Machines is Rs. 35450/- amount borne by beneficiaries through bank loan.
12	किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनांतर्गत अपेक्षित है।	1 टसर धागाकरण (रीलिंग एवं स्पीनिंग) हेतु बैंक ऋण राषि रू० 35450/— प्रति इकाई ।
	Type of economic activities envisaged under the Scheme.	(1) Loan amount for Tasar reeling & spinning is Rs. 35450/- per unit approved by NABARD.
13	क्या व्यक्तिगत हितग्राही / समूह के लिए कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गयी है। यदि हाँ तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें।	उपरोक्तानुसार.
	Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/ group if so. please give details.	As above.
14	क्या योजनांतर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है।	हॉ, योजना में बैंक से ही ऋण का प्रावधान है।
	Whether any bank loan is envisaged under the Scheme.	Yes, Provision of Bank Loan has been made in the scheme.
15	क्या योजनान्तर्गत के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाईल्स) तैयार कर लिए गए है।	नही.
	Whether any project profiles, etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.	No.
16	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो।	निरंक
	Additional details if any	Nil.